रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936
No. 93] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2014

अंतिम जांच परिणाम

विषय :—ईयू, यूएसए और कोरिया आरपी में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइलीन क्लोराइड" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच-अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 14/19/2012-डीजीएडी.—यत:, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) को, समय-समय पर यथासंशोधित, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और उसके समय-समय पर यथासंशोधित, सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत मैसर्स केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात् याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) से यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया और यूएसए (जिन्हें एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) से मिथाइलीन क्लोराइड (जिसे एतद्पश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

2. यत:, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सम्बद्ध देशों में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में नियमावली के उपनियम 6(1) के अनुसार कथित पाटन की

मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पर विचार करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया ।

क. प्रक्रिया

3. इस जांच के सम्बद्ध में निम्नलिखित का पालन किया गया:—

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया से पहले पाटन एवं क्षति का आरोप लगाते हुए आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में सम्बद्ध देशों के राजदूतावासों को अधिसूचना प्रेषित की।

ii. प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के सम्बंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

iii. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को इस सार्वजनिक सूचना की प्रति अग्रेषित की तथा उन्हें अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार अवसर प्रदान किया।

iv. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भारत में सम्बद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भी प्रेषित की और उन्हें सुझाव दिया कि वे इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।

v. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों को तथा भारत में सम्बद्ध देशों के राजदूतावासों को उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

vi. प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य के राजदूतावास और मैसर्स सैमसंग फाइलन कैमिकल्स लिमिटेड से प्रत्युत्तर प्राप्त किया। तथापि, कोरिया के किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

vii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सम्बद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को सम्बद्ध संगत सूचना प्रदान कराने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं : —

क. डी ओ डब्ल्यू कैमिकल्स

ख. इनिआस क्लोर लिमिटेड

ग. साल्वे एसए

घ. आर्केमा एस ए

ड. आक्सीडेंटल कैमिकल कारपोरेशन

च. डाव टैक्सास आपरेशन्स

छ. सैमसंग फाइन कैमिकल्स

ज. ओ सी आई कारपोरेशन

मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बी वी, नीदरलैंड्स और आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएम बी एच, जर्मनी द्वारा प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया गया था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स सैमसंग फाइन कैमिकल्स ने जांच शुरुआत अधिसूचना का ही प्रत्युत्तर दिया। तथापि, इसने कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर दर्ज नहीं किया ।

viii. सम्बद्ध वस्तु के भारत स्थित निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रदान कराने के लिए प्रश्नावलियां प्रेषित की गईं :—

क. वर्धमान ट्रेडिंग कारपोरेशन

ख. हर्ष कुमार एंड कंपनी

ग. राल्केय लिमिटेड

घ. मारपियन लैब्स

ङ सूर्या मेडिकअर लिमिटेड

च. इण्डसोल ड्रग्स लिमिटेड

छ. मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड

ज. यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड

झ. के डी एल बायोटेक लिमिटेड

ञ. सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ट. रेल्स इंडिया लिमिटेड

ठ. एलेम्बिक लिमिटेड

ड. हिन्दुस्तान कैमिकल्स इंडस्ट्रीज

ix. निम्नलिखित आयातकर्ताओं/ उपभोक्ताओं ने जांच शुरुआत अधिसूचना का प्रत्युत्तर दिया:—

क. हीट्रो लैब्स लिमिटेड

ख. डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड

ग. अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड

घ. कोबैलेण्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड

ड. रेनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड

x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल के रूप में खुली रखी।

xi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया कि वह सम्बद्ध वस्तु का जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों में हुए आयात का ब्यौरा उपलब्ध कराये। डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त खेप-वार आयात आकड़ों पर प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में प्रयोग किया गया है।

xii. भारत में सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा उसकी बिक्री करने की लागत का निर्धारण आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर सूचना के अनुरूप पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार किया गया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस प्रारंभ जांच परिणाम अधिसूचना को दिनांक 6.9.2013 की अधिसूचना सं.14/19/2012-डीजीएडी के तहत अधिसूचित किया गया और सम्बद्ध देशों में उद्भवित या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई अंतरिम सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 21 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 24/2013 के तहत इस अंतरिम शुल्क को उद्ग्रहित किया गया।

xiv. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को 22 नवम्बर, 2013 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। जिन

पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों का प्रोक्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरणों/प्रोक्तियों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये तर्कों पर इस अधिसूचना में, जहां कहीं संगत पाया गया, विचार किया गया है।

xv. इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन किया गया।

xvi. यह जांच 1 जनवरी, 2012 से प्रारंभ करके 31 दिसम्बर, 2012 (जांच की अवधि) तक के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2009—मार्च 2010, अप्रैल, 2010—मार्च, 2011, अप्रैल, 2011—मार्च, 2012 और जांच की अवधि को शामिल किया गया।

xvii. प्रमुख नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस अंतिम जांच परिणाम के लिए आवश्यक तथ्यों/विचारित आधार का प्रकटन सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 25 मार्च, 2014 के प्रकटन विवरण के तहत किया गया और उन पर प्राप्त टिप्पणियों का प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई, सीमा तक इस अधिसूचना में समाधान कर दिया गया है।

xviii. इस अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और उस पर प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार उसी तरह विचार किया गया।

xix. जांच की अवधि के लिए अपनाई गई भारित विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 53.69 रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग के विचार

4. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:—

I. मिथाईलीन क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक जिसका फार्मूला सीएच2सी12 । यह एक रंगहीन द्रव है जिसमें ईथर जैसी खुशबू आती है और इसका प्रयोग मुख्यत: साल्वेंट के रूप में किया जाता है। यह प्रयोग की अधिकांश दशाओं में अज्वलनशील होता है तथापि गरम करने पर यह तेजी से जलता है।

II. सम्बद्ध वस्तु के कोई ज्ञात ग्रेड नहीं हैं। तथापि, इसका व्यापार खुले में या पैकेट में किया जा सकता है और इसलिए इसका कीमतों पर सीधा प्रभाव होता है।

III. मिथाइल क्लोराइड को सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय-29 (कार्बनिक रसायन) के सीमाशुल्क उपशीर्षक 29031200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी रूप में यह वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

IV. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु और सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु और सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पादन विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है।

V. विभिन्न ग्रेडों की मौजूदगी के संबंध में ऐसा दावा करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को आयात आकड़ों या अन्य आयात दस्तावेजों में यथाप्रस्तुत उत्पाद विवरण के आधार पर विभिन्न ग्रेडों की मौजूदगी सिद्ध करना अपेक्षित होता है। यदि उत्पाद की खपत वास्तव में विभिन्न ग्रेडों में की गई है तो हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न ग्रेडों की मौजूदगी दर्शाने वाला संगत दस्तावेज प्रदान कराने से कोई मना नहीं कर सकता है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं कराई गई है जो उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों की मौजूदगी दर्शाती है।

VI. आयात चाहे खुले रूप में किया जाये ड्रम में परंतु विवरण यह नहीं दर्शाता है कि इस वस्तु में विभिन्न ग्रेड अंतर्ग्रस्त है।

VII. प्रकटन पश्चात् यह पुन: उल्लेख किया गया कि मिथायलीन क्लोराइड के विभिन्न ग्रेडों की मौजूदगी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है जिसे उत्पादन विवरण के आधार पर सिद्ध किए जाने की जरुरत होती है, जैसा कि आयात आंकड़ों और उत्पाद विनिर्देशनों में उल्लेख किया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :—

i. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना छुपाई है और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की है। इंडियन फारमेकोपोइया में मिथाइलीन क्लोराइड का मोनोग्राफ यह दर्शाता है कि मिथाइलीन क्लोराइड के विभिन्न ग्रेड है जिनके लिए कीमतों में अंतर रहता है। ड्रमों में किये गये आयात पर भी एक लेबल लगा होता है जिसमें ग्रेड निर्धारित होता है। प्राधिकारी ने कीमत अंतर को नकार दिया है।

ii. ड्रम पैक्ड और खुली मिथाइलीन क्लोराइड की कीमत में अंतर है। यह अंतर केवल ड्रम की लागत के कारण ही नहीं बल्कि विभिन्न ग्रेडों के कारण भी हो सकती है।

iii. ड्रमों में आईपी ग्रेड में अधिप्राप्त सम्बद्ध वस्तु का प्रयोग टेबलेट्स की कोटिंग करने के लिए आधारभूत संविन्यासों में अनुद्रव्य के रूप में किया जाता है। प्रति टेबलेट्स कीमत प्रभाव एक प्रतिशत होता है। खुली सम्बद्ध वस्तु का प्रयोग मुख्यत: सक्रिय भेषज अवघटकों का उत्पादन करने में औषध उद्योग द्वारा साल्वेंट के रूप में किया जाता है। इसके प्रयोग और प्रभाव एक ड्रग से दूसरे ड्रग में अलग-अलग होते है।

iv. प्रकटन के पश्चात् अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकांशत: जांच की प्रक्रिया में पहले अभिव्यक्त किए गए अपने विचारों को दोहराया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकारी का यह निर्धारण कि मिथाइलीन क्लोराइड के कोई ज्ञात ग्रेड नहीं है और इसकी मनाही की जाती है। उनके द्वारा किया गया विश्लेषण यह दर्शाता है कि ड्रम पैक्स और लूज मिथायलीन क्लोराइड की प्रति यूनिट दर में भिन्नता न केवल ड्रम की कीमत के कारण है बल्कि केवल ड्रमों में आने वाले विशेषीकृत ग्रेडों के कारण भी हो सकती है। लूज मिथायलीन क्लोराइड का उपयोग अधिकांशत: सक्रिय फार्मास्युटिकल अन्तर्वस्तु (एपीआई) का उत्पादन करने की प्रक्रिया में साल्वेंट के रूप में ड्रग उद्योग द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग और कीमत पर प्रभाव ड्रग से ड्रग के लिए अलग-अलग होता है। यदि क्लोरोफार्म और पीटीएफई के लिए बाजार स्थिति समान ही बनी रहती है या और अधिक बिगड़ जाती है तो घरेलू उत्पादक को क्लोरोफार्म और अन्तत: मिथायलीन क्लोराइड का उत्पादन बंद कर देने के सिवाय कोई अन्य चारा नहीं रह जाता है। ड्रग उद्योग के लिए यह अभिशाप के समान होगा। मूल रुप से सभी एपीआई खासकर जीवन रक्षक ड्रग्स साल्वेंट के रूप में मिथायलीन क्लोराइड का प्रयोग करते हैं और प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम के कारण देश में जीवन रक्षक ड्रग्स की कमी हो जाएगी। उपर्युक्त कदम ड्रग विनिर्माताओं के भारी सेगमेंट के लिए हानिकर होगा। यह एक गंभीर मामला होने के कारण प्राधिकारी को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि क्षति निर्धारण का आधार, खासकर संयुक्तक उत्पादों के लिए त्रुटिपूर्ण एवं गलत है जिसका पहले ही उल्लेख किया गया था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद ''मिथाइलीन क्लोराइड'' है जिसे ''डाइक्लोरोमिथेन'' और ''मिथाइलीन ड्राइक्लोराइड'' (एमडीसी) के रूप में भी जाना जाता है।

7. मिथाईलीन क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक जिसका फार्मूला सीएच2सी12 । यह एक रंगहीन द्रव है जिसमें ईथर जैसी खुशबू आती है और इसका प्रयोग मुख्यत: साल्वेंट के रूप में किया जाता है। यह प्रयोग की अधिकांश दशाओं में अज्वलनशील होता है तथापि गरम करने पर यह तेजी से जलता है। मिथाइलीन क्लोराइड उच्च ताप पर डिकम्पोज हो सकता है और इसमें से जहरीली गैस निकल सकती है। यह विभिन्न साल्वेंटों के साथ पूरी तरह से मिश्र्य है। एमडीसी एक साल्वेंट है और इसका प्रयोग पोलीकार्बोनेट तथा फिनोलिक रेजिन्स, रेयन यार्न का निर्माण करने, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि तथा सुगंध उद्योग में किया जाता है। यह खाद्य वसा, कोकोआ, मक्खन और ऐसेन्स के लिए निस्सारण के रूप में किया जाता है ।

8. मिथाइलीन क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए दो तकनीकें है- मिथेन रुट और मेथनोल रुट । दोनों रुपों से उत्पादित उत्पाद अनिवार्यत: तकनीकी विनिर्देशनों में समान होता है। मिथाइलीन क्लोराइड को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक सं.29031200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रुप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

''समान वस्तु'' का आशय किसी ऐसी वस्तु से होता है जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के सभी रुपों में समान या उसके अनुरुप हो अथवा इस वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी रुपों में समान न होते हुए भी जिसमें जांचाधीन वस्तु के अनुरुप प्रकट होने वाले गुणधर्म हो''

10. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा समबद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रसायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पादन विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रुप में तुलनीय है।

11. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि मिथाइलीन क्लोराइड के भिन्न-भिन्न ग्रेड होते हैं, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के ऐसे विभिन्न ग्रेडों की मौजूदगी को सिद्ध नहीं कर पाया है जिनमें भौतिक एवं रसायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, लागत, कीमत आदि में भारी अंतर हो। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को डीजीसीआई एंड एस उपलब्ध कराये गये खेपवार आयात आंकड़ों से भी विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों का भी पता नहीं लगा।

12. असंवेष्ठित और ड्रमबद्ध उत्पाद की लागत और कीमत में अंतर के संबंध में प्राधिकारी ने अपनी प्रारंभिक जांच में इस तथ्य को पहले ही माना है तथा पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ असंवेष्ठित और ड्रम उत्पाद की अलग-अलग तुलना की है। यह भी नोट किया जाता है कि असंवेष्ठित और पैक्ड दोनों ही रुपों में इस उत्पाद का भारत में आयात किया गया है और घरेलू उद्योग द्वारा दोनों की ही आपूर्ति की गई है।

13. जहां तक अनुस्रोत उत्पादों की कीमत पर इस उत्पाद के प्रभाव का संबंध है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह परिमाणित और स्थापित नहीं किया है कि अनुस्रोत उद्योग पर पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव बहुत अधिक होगा।

ग. <u>घरेलू उद्योग एवं आधार</u>

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

14. यह आवेदन पत्र संयुक्त रुप से मैसर्स कैमप्लास्ट सनमार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इस उत्पाद के गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और एस आर एफ लिमिटेड नामक दो अन्य उत्पादक भी हैं । एस आर एफ लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है। एस आर एफ लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है और यह आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत किये गये हैं और यह आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत आधार की जरुरत को पूरा करता है और याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार घरेलू उद्योग बनते हैं।

<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

15. घरेलू उद्योग तथा आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतिकरण किये गये है और यह आधार निम्नलिखित है:-

क. एस आर एफ लिमिटेड ने स्पष्ट रुप से इस याचिका का समर्थन किया है। इसने प्रतिभागी के रुप में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं । इसकी अप्रतिभागिता और कोई भी प्रस्तुतिकरण न करने के संबंध में उसे असहयोगकर्ता के रुप में माना जाना चाहिए न कि आवेदन के समर्थक के रुप में।

ख. जी ए सी एल ने वर्तमान जांच में कोई खास हित प्रदर्शित नहीं किया है। यह भी संभव नहीं है कि सम्बद्ध आयात केवल एक कंपनी को प्रभावित करेंगे जबकि अन्य उत्पादकों को प्रभावित नहीं करेंगी।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

''घरेलू उद्योग'' का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रुप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हों तो ऐसे मामलों में ''घरेलू उद्योग'' को केवल शेष उत्पादकों के रुप में माना जाएगा।

17. यह आवेदन पत्र संयुक्त रुप से मैसर्स कैमप्लास्ट सनमार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इस उत्पाद के गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और एस आर एफ लिमिटेड नामक दो अन्य उत्पादक भी हैं जिन्होंने इस याचिका का समर्थन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करते हैं । इसके अतिरिक्त, समर्थकों के उत्पादन को मिलाकर याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 83 प्रतिशत उत्पादन बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन का अधिकांश अनुपात बनता है। पुन: यह नोट किया जाता है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का ना तो आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के आयातक या निर्यातक से सम्बद्ध है। यद्यपि मैसर्स एस आर एफ लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है तथापि कंपनी ने ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की है जो क्षति निर्धारण से प्रासंगिक हो। अत: यह निर्धारित किया जाता है कि यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है और आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत 'आधार' की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । इसलिए याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार घरेलू उद्योग बनता है।

18. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि एस आर एफ लिमिटेड को समर्थनकर्ता के रुप में नहीं माना जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि नियमावली का नियम 5 यह अपेक्षा करता है प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करे कि क्या याचिका का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक होता है जो उसका समर्थन करते हो अथवा विरोध करते हो, जैसे भी मामला हो। अत: यदि किसी घरेलू उत्पादन ने याचिका का समर्थन किया है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी से नियम 5 (3) के प्रयोजनार्थ उस पर विचार करना अपेक्षित होता है। तथापि, नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी से केवल उन घरेलू उत्पादकों पर ही विचार करना अपेक्षित होता है जिन्होंने प्रासंगिक क्षति सूचना प्रदान करायी है। वर्तमान मामले में, यह नोट किया जाता है कि मैसर्स एस आर एफ लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है और उस पर नियम 5(3) के प्रयोजनार्थ विचार किया जाना अपेक्षित होगा। तथापि, नियम 2(ख) के अंतर्गत मैसर्स मेमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड को मिलाकर बने घरेलू उद्योग के दायरे के प्रयोजनार्थ, चूंकि एस आर एफ ने क्षति सूचना उपलब्ध नहीं कराई है इसलिए प्राधिकारी ने कैमप्लास्ट सनमार्ग और जीएफएल को ही घरेलू उद्योग के रुप में माना है।

घ. <u>विविध प्रस्तुतिकरण</u>

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

19. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतिकरण किये गये हैं:-

i. न्यूनतम जांच के प्रयोजनार्थ आयातों की मात्रा पर ही विचार किया जाना अपेक्षित होता है। निर्यातकर्ता राष्ट्रों के व्यापार आंकड़ों में रिकार्ड किये गये निर्यातों की मात्रा वर्तमान प्रयोजनार्थ गुणतया असंगत है। कोरिया से आयातों की मात्रा 1811 एमटी है जो कुल आयात का 3.01 प्रतिशत बनता है।

ii. निर्यातक देश से किये गये निर्यात का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू उद्योग की क्षति पर विचार करने के लिए (क) आयातित उत्पाद की पुन:बिक्री कीमत, (ख) पत्तन

पर पड़ी सामग्री की मात्रा और, (ग) आयातक द्वारा प्रस्तुत कि गई पुन:बिक्री कीमत ही पर्याप्त होते है। अत: भारत में आयात सामग्री की मात्रा ही वर्तमान प्रयोजनों के लिए संगत नहीं है।

iii. चीन से आयात संबद्ध देशों से आयात से उच्चतर कीमतों पर किये जाते है। चीन से आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आयी है जबकि कोरिया आर पी से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि कोरिया से आयात कीमत स्पष्टत: प्रलक्षित होती है और इसने यूरोप और यूएस से आयात कीमत का अनुकरण किया है।

iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि बदली हुई परिस्थितियों की जांच विगत जांच में शुल्क वापसी से की जानी चाहिए, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पक्षकार यह मानते है कि पाटनरोधी शुल्क एक स्थायी शुल्क है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण केवल तभी किया जाता है जब उत्पाद का निर्यात पाटित कीमत पर किया गया हो और उसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। आयात कीमतें वर्ष 2010-11 अवधि के दौरान 770-820 अमरीकी डालर पीएमटी के आसपास रही है जिनमें जांच अवधि के दौरान गिरावट हुई और वे 420-470 अमरीकी डालर पीएमटी हो गई, इससे यह प्रदर्शित होता है कि उत्पाद कीमत में नाट्कीय परिवर्तन आया है।

v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि व्यापारियों ने बाजार में कीमत विकृत की है, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि क्या कीमतें व्यापारियों के प्रतिभागिता के कारण कम रही है या निर्यातकों द्वारा कम कीमत पर निर्यात किये जाने के कारण कम रही है। इसके अतिरिक्त व्यापारिगण अपनी तय कीमत से वास्तव रुप में कम कीमत पर किसी उत्पाद की बिक्री अधिक लम्बे समय तक नहीं कर सकते।

vi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संयंत्र की स्थापना मुख्यत: क्लोरोफोर्म के लिए की गई है और एमडीसी तथा कार्बन ट्रेटाक्लोराइड का उत्पादन संयुक्त रुप से किया जाता है, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि उन्होंने एमडीसी और क्लोरोफार्म का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की है। संयंत्र का विस्तारीकरण करने के लिए जीएफएल की परियोजना रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि कंपनी को एमडीसी के लिए अच्छी मांग और बाजार मिल गई और इसलिए उसने एमडीसी और क्लोरोफार्म का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है।

vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संयुक्त लागत का निर्धारण समुचित लागत क्रियाविधियों का अनुकरण करके किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि ऐसे मामले में जहां एमडीसी और क्लोरोफार्म का दोनों का उत्पादन साथ–साथ किया जाता हो, उत्पादन कीमत का निर्धारण करने के लिए सुस्थापित क्रियापद्धति का अनुकरण किया गया है। जहां तक सीटीसी का संबंध है, यद्यपि यह एक सह उत्पाद है, फिर भी लागत आकलन के लिए यह एक उप-उत्पाद है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड से पूरी तरह से संगत है।

viii. प्रकटन के पश्चात घरेलू द्योग में पिछली जांच प्रक्रियाओं में अभिव्यक्त अपने विचारों को अधिकांशत: दोहराया ही है। घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं-

क. प्राधिकारी को क्षति निर्धारण ''घरेलू उद्योग'' के लिए करना होता है न कि ''समग्र रुप से घरेलू उत्पादकों'' के लिए। जीएसीएल और एसआर एफ द्वारा प्रतिभागिता न किए जाने को यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें क्षति हो रही है।

ख. यूएसए तथा यूरोप के उत्पादकों द्वारा चुनिंदा रुप से भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाया जा रहा है जिससे कि सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा सके; इसका कारण विदेशी उत्पादकों के लिए कम मांग और अधिक क्षमता हो सकता है परंतु भारत एक आकर्षक बाजार है।

ग. जहां तक याचिकाकर्ता आयात कीमतों के तुलनीय कीमतों का प्रस्ताव कर रहे हैं, वही तक याचिकाकर्ता अपने माल की बिक्री कर सकता है। तथापि, इस प्रक्रिया में, घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है।

घ. डीजीसीआई एंड एस आंकड़े भारत सरकार के आंकड़ों के ऊपर इसका पूर्वादाहरण प्राकृतिक रुप से अवश्य होगा, जब तक कि तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि इन आंकड़ों में त्रुटियां हैं।

ङ. लागत आबंटन/अभिभाषन क्षमता आधार पर नहीं किया गया है। इसलिए, किसी भी क्षमता पर विचार किया जाए परंतु यह एमडीसी को प्रभारित व्ययों से आवंटन/अभिभाजन को दूषित नहीं करता है।

च. निर्धारित गैर क्षतिकारी बहुत कम है। एनआईपी वास्तविक उत्पादन लागत पर आधारित होना चाहिए, न कि नोशनल लागत पर।

छ. हो सकता है कि तेलंगाना हड़ताल के कारण मांग में कुछ कमी आई हो तथापि, छुटी हुई यह मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अभी भी अधिक है।

ज. यदि यह मान भी लिया जाता है कि इस अवधि के दौरान पीटीएफई बिक्री मात्रा में कमी आई होगी; तो इससे क्लोरोफार्म के उत्पादन में और उसके परिणामस्वरुप एमडीसी के उत्पादन में भी कमी आई होगी। तथापि, एमडीसी और क्लोरोफार्म उत्पादन इस अवधि के दौरान बढ़ा है।

झ. कुछ बड़े फार्मा उद्योगों द्वारा एमडीसी की खपत मुश्किल से 1 प्रतिशत के बराबर है। अत: पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण इन फार्मा उद्योगों की लागत पर कोई प्रभाव डालने नहीं जा रही है।

ञ. किए गए उपाय के स्वरुप को अमरीकी डालर में अभिव्यक्त निर्धारित प्रमात्रा में रखना चाहिए।

<u>आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

20. कोरिया सरकार तथा सैमसंग फाइन कैमिकल्स की ओर से किये गये प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है:-

i. कुल आयातों के अनुपात में कोरिया की आयात मात्रा नगण्य है। भारतीय सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार जनवरी-दिसम्बर, 2012 में कुल आयात मात्रा के 2.5 प्रतिशत के लगभग है।

ii. याचिका के अनुसार यद्यपि कुल आयातों का 3.01 प्रतिशत हिस्सा ईयू और यूएस के हिस्से से बहुत कम है और यह उन अन्य देशों के हिस्से से भी कम है जो जांच का विषय नहीं है। इसलिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद-5.8 के अनुसार प्राधिकारी को यह जांच तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए।

iii. चीन जन.गण से आयात कुल आयातों का लगभग 4 प्रतिशत है और यह कोरिया के हिस्से से अधिक है परंतु इसपर सम्बद्ध देश के रुप में विचार नहीं किया गया है।

iv. प्रतिवादियों द्वारा उस अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया गया था जिसके लिए घरेलू उद्योग यह मानता है कि उसे क्षति हुई है। जांच की अवधि का उत्तरवर्ती स्वयंमेव विस्तारीकरण के कारण प्रतिवादियों के निर्यातों को शामिल किया गया है।

v. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन बदली हुई परिस्थितियों की जांच और उनका औचित्य परख लेना चाहिए जिनकी बजह से पाटनरोधी शुल्क का पुन:अधिरोपण करना अपेक्षित हुआ, जिनके प्रभाव के कारण घरेलू कीमतों और आयात कीमतों में कृत्रिम रुप से उच्च स्तर तक वृद्धि हुई।

vi. जांच की अवधि के दौरान बाजार डायनामिक्स और कीमत निर्धारण में व्यापारियों के कारण विकृति नहीं आ सकती है। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों के बजाय व्यापारियों द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों को शामिल किया गया है और इसलिए इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।

vii. आवेदक ने क्लोरोफार्म के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है जिसका उपयोग मुख्यत: रेफ्रिजरेशन गैसों और पीटीएफई का उत्पादन करने की गतिविधियों के लिए किया जाता है। एमडीसी और कार्बन ट्रेटाक्लोराइड का उत्पादन क्लोरोफार्म के साथ संयुक्त रुप से किया जाता है। संयुक्त उत्पाद लागत का आबंटन करने के लिए क्रियापद्धति का अनुकरण नहीं किया गया है।

viii. सम्बद्ध वस्तु के आयात का आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों को क्षति के साथ कोई सकारात्मक संबंध नहीं है और इसके परिणामस्वरुप आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों को क्षति का कारण सम्बद्ध वस्तु का आयात न होकर कोई अन्य कारक होगा।

ix. अंगीकृत विनिमय दर के आधार पर अवसारित कीमत की तुलना इस समय परिचलित विनिमय दर से करने पर परिकलन में भारी अंतर आता है। शुल्क दर का निर्धारण यूएस डालर में करने से क्षति मार्जिन में भारी वृद्धि हुई है।

x. घरेलू उद्योग आयात कीमतों को नियंत्रित करता है। आवेदनकर्ताओं ने कीमतें 26 रुपये से बढ़ाकर 46 रुपये कर दी जिनसे निर्यातकों को अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इससे जीवन रक्षक दवाईयों की कीमतों में अवरोध उत्पन्न हुआ।

xi. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावे जैसे तीन संयुक्त उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सामान्य कच्चा माल मेथनाल और क्लोराइड है तथा उनकी दरें उसी स्तर पर बनी रही जो वे वर्ष 2009-10 में थी, गलत है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने कास्टिक सोडा संयंत्र से क्लोरीन सह-उत्पाद के रुप में मुफ्त में उपलब्ध होती है।

xii. प्रकटन के पश्चात, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जांच प्रक्रिया में पहले अभिव्यक्त किए गए विचारों को ही दोहराया है। आयातकों, प्रयोक्ताओं और निर्यातकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए है।

xiii. वर्ष 2003 में मिथायलीन क्लोराइड पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क असंगत एवं इस सम्मिलित प्रतिनिधित्व को संधारणीय न होने के कारण वर्ष 2005 में वापस ले लिया गया। रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मिथायलीन क्लोराइड पर उद्ग्रहित पाटनरोधी शुल्क के लिए कोई औचित्य नहीं है और इसका आधार यह है कि यह एक सह-उत्पाद है और गैर-क्षतिकारी कीमत का गलत निर्धारण किया गया। नम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन तथ्यों तथा विधियों का परिवतर्तित परिस्थितियों में सत्यापन करना चाहिए एवं उनका औचित्य निर्धारित करना चाहिए जिसके कारण मिथायलीन क्लोराइड पाटनरोधी शुल्क पुन: अधिरोपित करना आवश्यक हो गया।

xiv. प्रकटन विवरण तथा प्रारंभिक रिपोर्ट का गहन अध्ययन यह दर्शाता है कि सभी तीन उत्पादों को संयुक्त उत्पाद के रुप में मानकर कीमत निर्धारण करने का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिथायलीन क्लोराइड के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों को सामान्य उत्पादों के लिए संगत लागत की विस्तृत जांच किए बिना ही अपना लिया है जबकि ऐसा किया जाना चाहिए। आबंटन के युक्तिसंगत आधार पर समुचित ढंग से गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण, जैसा कि संयुक्त उत्पाद की लागत का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, प्रकटन रिपोर्ट तथा प्रारंभिक जांच परिणाम दोनों में ही नहीं किया गया है क्योंकि अपनाए गए आधार का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त, जब तक लागत निर्धारण की सुस्थापित प्रकियाओं के आधार पर उचित एवं उद्देश्यपरक गैर क्षतिकारी कीमत की संगणना नहीं की जाती है तब तक पाटनरोधी शुल्क को लगाने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाना और मिथायलीन क्लोराइड के उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डालना होगा।

xv. संयुक्त लागत, जैसा कि स्पष्ट है कि उत्पादन प्रक्रिया की वह लागत होती है जो विविध उत्पादों का उत्पादन (वर्तमान मामले में तीन) एक साथ करता है। बिन्दु का विखंडन या पृथक्करण का बिन्दु संयुक्त उत्पादन प्रक्रिया में वह स्थान होता है जहां दो या अधिक उत्पाद अलग से अभिज्ञेय होते हैं। लागत सामग्री उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं, विनिर्माण उपरिशीर्षों आदि से संबंधित समस्त लागत होती है। प्रत्येक उत्पाद पर इस विखंडन बिन्दु या पृथक्करण बिन्दु से परे व्यय की गई लागत उनहीं उत्पादों को अभिहस्तांकित की जा सकती हैं जिनके लिए उन्हें खर्च किया गया है। लागत निर्धारण क्रियापद्धतियों के अंतर्गत प्रावधान किए गए किसी भी अधिगम को नहीं अपनाया गया है और इस कारण प्रारंभिक जांच परिणाम में गैर क्षतिकारी कीमत के संबंध में किया गया निष्कर्ष पूर्णतया गैर-न्यायोचित है। घरेलू उद्योग अपनी लागत का भार बढ़ाना चाहता है जो किसी भी परिस्थिति में विचाराधीन नहीं है।

xvi. दिनांक 21 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना के तहत शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उद्योग ने मिथायलीन क्लोराइड (''कथित पदार्थ'') की कीमतें अधिसूचना के पश्चात बढ़ा दीं। उक्त अधिसूचना से पहले 26 रुपये प्रति किग्रा. थी जिन्हें बढ़ाकर उस तारीख को 46 रुपये प्रति किग्रा कर दिया गया, जिसके कारण बाजार में एकाधिकार स्थापित हुआ। उक्त अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्यातकों को अपनी कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों के अनुरुप बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसे जीवन रक्षक दवाईयों के कीमतें अवरुद्ध हो गयी तथा घरेलू उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ।

xvii. राज्य चालित गुजरात अलकलाय एवं कैमिकल्स लिमिटेड सहित दोनों उत्पादकों ने किसी क्षति का दावा नहीं किया और न ही उन्होंने सरकार का आश्रय लिया। जहां तक घरेलू उद्योग का संबंध है, क्लोरिन कास्टिक सोडा संयंत्र के उनके सह उत्पाद के रुप में स्वतंत्र रुप से उपलब्ध है। क्लोरिन की दर अन्यथा भी तीन से चार रुपये प्रति किग्रा है। प्रारंभिक जांच परिणाम तथा प्रकटन रिपोर्ट दोनों में इसका जिक्र नहीं किया गया है। जब ड्रम्स और लूज मिथायलीन क्लोराइड का सामान्य रुप से विपणन किया जाता है तो प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की पहल पर इस विभेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था और दोनों की गैर क्षतिकारी कीमत युक्ति संगत आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी।

xviii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से इकट्ठे किये गये आयात आंकड़े प्रयोग किए गए है परंतु उनका उन आंकड़ों से प्रति सत्यापन नहीं किया गया है जो विभिन्न पत्तनों से संग्रहित इंटरनेशनल बिजनेश सर्विस आर्गनाइजेशन के पास सामान्य रूप से उपलब्ध है।

xix. लूज मिथायलीन क्लोराइड तथा ड्रमों में मिथायलीन क्लोराइड की कीमतों का औसत करना पूरी तरह से गलत एवं अनुश्चित है।

xx. पैरा 21 (i) से पैरा 21(xv) में प्राधिकारी के इस निर्धारण के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षमताओं में किया गया मात्रात्मक सुधार वह कारक नहीं है जिसपर विचार किया जाना चाहिए और यह कि घरेलू उद्योग को मिथायलीन क्लोराइड के इन आयातों के कारण लाभ, निवेश पर अर्जन तथा नकदी प्रवाह में गिरावट आयी है और उसे व्यापक क्षति हुई है, गलत है। प्राधिकारी ने पुन: यह व्यक्त किया कि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग रेफ्रिजरेशन गैसों और पीटीएफई का उत्पादन करता है जिसके निष्पादन में गिरावट आयी है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है न कि मिथायलीन क्लोराइड के आयातों के कारण और घरेलू उद्योग को इस तरह कारित क्षति प्राधिकारी का केवल पूर्वाग्रही विचार है।

xxi. रिपोर्ट का गहन अध्ययन दर्शाता है कि सभी तीनों उत्पादों को संयुक्त उत्पाद के रुप में मानते हुए कीमत निर्धारण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा मिथायलीन क्लोराइड के लिए दिये गये आंकड़े बिना किसी विस्तृत जांच के अपनाये गए है।

xxii. कीमत निर्धारण क्रियापद्धति के अंतर्गत प्रावधान किये गये किसी भी अधिगम को नहीं अपनाया गया है और इस कारण गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण गलत है।

xxiii. आवेदनकर्ताओं ने क्लोरोफार्म के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन गैसों और पीटीएफई का उत्पादन करने के उनके मुख्य क्रियाकलाप के रुप में किया जाता है। इस उत्पाद का उत्पादन अकेले आधार पर नहीं किया जा सकता है परंतु इस उत्पाद के साथ संयुक्त उत्पाद मिथाइलीन क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उत्पादन किया जाता है। इसलिए समुचितता सुनिश्चित करने का अतिरिक्त बोझ प्राधिकारी पर लाद दिया गया है।

xxiv. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि निर्यातक भारत में मिथायलीन क्लोराइड की बिक्री उस निर्यातक के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत से कम कीमतों पर कर रहे है। इस अंतर के लिए क्रय शक्ति अंतर तथा लागत निर्धारण के अन्य तत्वों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

xxv. इस मामले में घरेलू विनिर्माताओं को मात्रा क्षति तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है और साक्ष्यों से यह सिद्ध भी होता है। नम्रता पूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह समझने में असफल रहे है कि

रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो भारतीय बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर कथित पाटित आयातों के प्रभाव को स्पष्ट करती हो जैसा कि उत्पादन में गिरावट, बिक्री क्षति, बाजार हिस्से को नुकसान, कम लाभ, उत्पादकता में गिरावट, क्षमता उपयोग में गिरावट, निवेश पर कम अर्जन और कीमत प्रभाव के रुप में दर्शाया गया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह पहले से उपलब्ध साक्ष्यों तथा उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का पुन: मूल्यांकन करें जिससे कि आवेदनकर्ताओं के आर्थिक पैरामीटरों के रुप में क्षति का निर्धारण किया जा सके जैसे कि बिक्री, उत्पादन, लाभ, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन, क्षमता उपयोग, रोजगार और पूंजीकरण में गिरावट । यह उम्मीद की जाती है कि अधिकांश तत्व यह इंगित करेगी कि कोई गिरावट हुई ही नहीं।

xxvi. मिथायलीन क्लोराइड का प्रमुख प्रयोग एपीआई विनिर्माताओं द्वारा साल्वेंट के रुप में किया जाता है और इसका उनपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एपीआई का प्रयोग फार्मूलेशनों के लिए किया जाता है और यह उनकी लागत का 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक होता है। भेषज (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के जरिए कीमत नियंत्रण की स्थिति में एपीआई के उत्पादक और फार्मूलेशनों का प्रयोग करने वाले दोनों ही प्रभावित होंगे क्योंकि इन संविन्यासों के उत्पादक उनके संविन्यासों की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को सहन नहीं कर पायेंगे।

xxvii. यह प्रस्तुत किया गया कि आक्जो नोबेल ने वर्ष 2012 के पहले छह महीनों के दौरान जब घरेलू उद्योग द्वारा पहला आवेदन किया गया था, कोई पाटन नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों के पास निर्यात कीमत का निर्धारण करने और उसके परिणाम स्वरुप पाटन का निर्धारण के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है जिसपर वर्तमान जांच प्रारंभ करने के लिए विचार किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रुप से यह उल्लेख किया है कि समुद्री भाड़ा और कमीशन के लिए समायोजन घरेलू उद्योग द्वारा अनुचित ढंग से प्रदान कराया गया है और उसे डीजीएडी द्वारा स्वीकार भी किया गया है। उन्होंने सम्बद्ध वस्तु के लिए क्षमता का गलत निर्धारण करने से संबंधित मुद्दें पर भी प्रकाश डाला है। जिसके परिणाम स्वरुप घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत में वृद्धि हुई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को कोई मात्रा क्षति नहीं हुई और घरेलू उद्योग द्वारा बढ़ी हुई लागत तथा क्षति के संबंध में दी गई रिपोर्ट की डीजीएडी द्वारा जांच नहीं की गई है। उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में भारत में उत्पादन एवं खपत के संगत रुप से या समग्र रुप से वृद्धि हुई है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण का प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है:-

क. कोरिया आरपी और चीन जन.गण के आयातों के हिस्से के संबंध में दिये गये तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली में यह अपेक्षा की जाती है कि सम्बद्ध देश से आयात नगण्य मात्रा से अधिक होनी चाहिए। यह नोट किया जाता है कि कोरिया आरपी से आयातों की मात्रा नगण्य मात्रा (3.57 प्रतिशत) से अधिक है और इसलिए इस कारण से यह जांच समाप्त कर देना अपेक्षित नहीं है। जहां तक चीन जन.गण का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण से आयात बहुत अधिक थे।

ख. इस तर्क के संबंध में कि मैसर्स आक्जो से क्षति नहीं हुई क्योंकि इसने जनवरी से जून, 2012 तक कोई निर्यात नहीं किया। यह वह अवधि है जिसके लिए पहला आवेदन पत्र दायर किया गया था, प्राधिकारी नोट करते है कि इस मामले में जांच अवधि जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 है। प्रारंभिक अवधि जिसके लिए याचिका दायर की गई थी वास्तविक नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी को किसी विशिष्ट उत्पादक अथवा किसी देश के निर्यातक से क्षति सिद्ध करना अपेक्षित नहीं होता है। वास्तव में वर्तमान मामले में चूंकि क्षति का संचयी आकलन करने की परिस्थितियां मौजूद है इसलिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन संबंध देशों से संचयी आयातों पर विचार करते हुए किया जाना अपेक्षित है। यह जांच की गई है कि क्या सम्बद्ध देशों से निर्यातकों ने विचारित जांच की अवधि में सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया है और क्या उस संबंधित उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ग. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को उन बदलती हुई परिस्थितियों का सत्यापन और उनका औचित्य निर्धारित कर लेना चाहिए जिनकी बजह से पाटनरोधी शुल्क पुन: अधिरोपित करना आवश्यक हो गया, प्राधिकारी यह नोट करते है कि नवीन जांच में बदली हुई परिस्थितियों का विश्लेषण करना अपेक्षित नहीं होता है।

घ. इस तर्क के संबंध में कि आयातों में व्यापारियों द्वारा किये गये वे आयात भी शामिल है जिनकी बजह से कीमत निर्धारण में विकृति हो सकती है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि संपूर्ण क्षति अवधि में व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भी आयात किये जाते रहे है और अत: निष्पादन में गिरावट केवल बाजार में व्यापारियों द्वारा की गई बिक्री के कारण ही नहीं हो सकती है। किसी भी हाल में संभव नहीं है कि कीमत निर्धारण में विकृति व्यापारियों द्वारा बाजार में की गई बिक्री के कारण आयी हो। यह भी नोट किया जाता है कि इस जांच में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु के किये गये सभी आयातो पर विचार किया गया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने जिन आयातों पर विचार किया है उनमें उपभोक्ताओं द्वारा किये गये आयात भी शामिल है। यह भी नोट किया जाता है कि यह आयात चाहे व्यापारियों द्वारा किये गये हो या उपभोक्ताओं द्वारा, परंतु यह आयात पाटित कीमतें पर किये गये है।

ड. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्लोरोफार्म के लिए एक संयंत्र की स्थापना की है जिसका प्रयोग मुख्यत: रेफ्रिजरेशन गैसों और पीटीएफई का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग ने संयंत्र का विस्तारीकरण करने के लिए जीएफएल की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो यह दर्शाती है कि अच्छी बाजार और एमडीसी के लिए मांग प्राप्त करने के पश्चात इसने एमडीसी और क्लोरोफार्म का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त पाटनरोधी जांच एक उत्पाद विशिष्ट जांच होती है। जहां तक लागत का निर्धारण करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान प्रयोजनों के लिए निर्धारित की गई और अपनाई गई उत्पादन लागत कंपनी द्वारा रखे गये लागत रिकार्ड तथा घरेलू उद्योग की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरुप है।

च. संबंधित कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उसका इस जांच परिणाम में समुचित शीर्षकों के अंतर्गत विधिवत विश्लेषण किया गया है।

छ. विनिमय दर के कारण अवसारित मूल्य में अंतर के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान आयातों के अवसारित मूल्य की तुलना गैर क्षतिकारी कीमतों के साथ करके किया जाना अपेक्षित होता है। आयातों की अवसारित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान सीआईएफ आयात कीमतों पर विचार करके किया जाना अपेक्षित होता है। इसलिए इस प्रयोजनार्थ वर्तमान विनिमय दर वास्तविक नहीं है।

ज. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग आयात कीमतों को नियंत्रित करता है, इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में कमी उत्पादन लागत से काफी कम स्तर तक की है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों में भारी गिरावट की गई है और इसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी भारी गिरावट आयी है।

झ. इस उत्पाद का उत्पादन करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये लागत लाभों की उपयुक्तता के संबंध में स्वयं संतुष्टि की है। इस तर्क के लिए कोई आधार नही है कि घरेलू उद्योग को क्लोरीन मुफ्त में उपलब्ध होती है। प्राधिकारी ने खरीदे गये और ग्राही कच्चे माल का मूल्यांकन कंपनी के रिकार्डों में अभिलक्षित खपत भारित औसत कीमत के आधार पर विचार करते हुए किया है।

ञ. इस तर्क के संबंध में कि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों का प्रति-सत्यापन आईबीआईएस आंकड़ों से नहीं किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ें भारत सरकार के आकड़े है और प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों पर तब तक भरोसा करते है जब तक कि तथ्यों से यह स्थापित न हो जाता हो कि इन आंकड़ों में कुछ त्रुटि है। हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में त्रुटि सिद्ध करने में असफल रहे है। इसके अतिरिक्त आईबीआईएस के अनुसार आयातों की जांच करने से आयात मात्रा और कीमत के संबंध में विभिन्न तथ्य वास्तविक रुप से सिद्ध नहीं हो पाती है। यह भी नोट किया जाता है कि ईयू से प्रतिवादी निर्यातक के संबंध में पाटन मार्जिन उस निर्यातक द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली प्रत्युत्तर पर आधारित है। किसी भी मामले में यह सिद्ध नहीं हुआ है कि आईबीआईएस आंकड़ों पर भरोसा करने से वास्तव में अलग परिणाम निकलेगे।

ट. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि लूज और ड्रम्स की कीमत को इक्ट्ठा करके औसत कीमत निकाली गई है, प्राधिकारी नोट करते है कि एमडीसी का लूज और ड्रमों में किये गये आयात की पृथक तुलना की गई है। इसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण नियमावली के अनुरुप किया गया है।

ठ. प्रकटन पश्चात विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में, पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध के मुद्दे के संबंध में उसकी प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत जांच की गई है।

<u>पाटन और पाटन मार्जिन की गणना</u>

<u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

22. किसी वस्तु के संबंध में धारा 9क(1) (ग) के अंतर्गत सामान्य मूल्य का आशय:-

i. व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु के लिए उस तुलनीय कीमत से होता है जब उसका आयात उप धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के उद्देश्य से किया गया हो, या

ii. जब निर्यातक देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु की बिक्री नहीं होती है अथवा निर्यातक देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में विशिष्ट बाजार स्थिति या बिक्री की अल्प मात्रा के कारण यह बिक्रियां समुचित तुलना की अनुमति नहीं देती हैं तो सामान्य मूल्य या तो

क. समान वस्तु की वह प्रतिनिधिक तुलनीय कीमत होती है जब उसका निर्यात निर्यातक देश या भू-भाग या उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित किसी समुचित तृतीय देश से किया गया हो; या

ख. उद्गम के देश में उस वस्तु की प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निर्धारित लाभ के लिए तर्कसंगत संवर्धन सहित उत्पादन लागत होती है;

23. प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां यह सुझाव देते हुए प्रेषित की कि वे विहित स्वरुप और ढंग से सूचना प्रदान करे। तथापि ईयू के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को छोड़कर सम्बद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके सहयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित कंपनियों द्वारा प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया गया है:

- मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंडस
- आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच, जर्मनी

चूंकि उपर्युक्त कंपनियों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है इसलिए इन कंपनियों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर किया गया है।

24. सम्बद्ध देशों में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करार के अनुच्छेद-6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) में उल्लिखित शर्तों के अनुरुप उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

25. तद्नुसार, प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया है।

<u>मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंडस और मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच, जर्मनी के मामले में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>

26. यह प्रस्तुत किया गया है कि मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, आक्जो नाबेल कैमिकल्स बीवी नीदरलैंडस की एक 100 प्रतिशत अनुषंगी कंपनी है । इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, ने मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच, जर्मनी के साथ विनिर्माण और बिक्री सेवा करार किया है। विनिर्माण और बिक्री सेवा करार में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, मिथाइलीन क्लोराइड विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल की

आपूर्ति मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच, जर्मनी (प्राकृतिक गैस और विद्युत को छोड़कर) को करता है। मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच मिथाइलीन क्लोराइड का निर्माण जर्मनी स्थित अपनी संयंत्र में आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी के लिए करता है। मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच द्वारा प्रदान की गई विनिर्माण सेवाओं के लिए उसे आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी से शुल्क प्राप्त होता है। प्रत्युत्तर से यह भी नोट किया जाता है कि भारत को निर्यातित उत्पाद और घरेलू बाजार में बेचा गया उत्पाद सभी तरह से एक समान है। निर्यातक ने ईयू की घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

27. यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स होल्डिंग, जीएमबीएच, जर्मनी की एक 100 प्रतिशत अनुषंगी कंपनी है। मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स जीएमबीएच, मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी के लिए मिथाइलीन क्लोराइड का निर्माण अपने जर्मनी स्थित संयंत्र में करता है। घरेलू बाजार में बिक्री और भारत को निर्यात निष्पादन मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंडस द्वारा किया जाता है। निर्यातक के प्रत्युत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी नीदरलैंडस ने जांच की अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध वस्तु का निर्यात (सभी मात्रा में) किया है। इस प्रत्युत्तर की जांच की गई थी और निर्यातक को एक त्रुटिपत्र जारी किया गया जिसमें उससे त्रुटि सुधार करने का अनुरोध किया गया। तथापि, प्रत्युत्तर की जांच करने के पश्चात उनका प्रत्युत्तर स्वीकार करना सही माना गया है। उनके प्रत्युत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में (समग्र रुप से ईयू भू-भाग के आधार पर) उनकी घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में होती है। निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट-1 में दी गई खेपवार घरेलू बिक्रियों की सूचना से यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में लाभ अर्जित करने वाली बिक्रियां मात्रा के रुप में 80 प्रतिशत से अधिक हैं। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने प्रयोजनार्थ संपूर्ण घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है घरेलू बाजार में बिक्रियों के लिए निर्यातक द्वारा किये गये समायोजन दावे अर्थात अंतरदेशीय भाड़ा, क्रेडिट लागत और कमीशनों की प्रत्युत्तर के अनुरुप अनुमति दी गई है। इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

28. भारत को प्रत्युत्तरदाता निर्यातक से सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के संबंध में यह नोट किया जाता है कि मैसर्स आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंडस ने सम्बद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है और उसने इसकी सूचना निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-2 में प्रदान की है। निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है जिसकी उसे अनुमति दे दी गई है। आक्जो नाबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंडस के लिए यथानिर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>ईयू के अन्य उत्पादाकों और निर्यातकों के मामलें में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत</u>

29. इस जांच में अन्य निर्यातकों द्वारा सहयोग न दिये जाने के मद्देनजर अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण ईयू के सहयोगकर्ता निर्यातकों की न्यूनतर निर्यात कीमत के आधार पर किया गया क्योंकि निर्यातक आकड़ों के अनुसार समायोजन के लिए अनुमति देने के पश्चात यह उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्य थे। सहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए भी उसके अनुरुप ही सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस तरह निर्धारित निर्यात कीमत की तुलना ईयू के अन्य सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य से की गई। तदनुसार ईयू के अन्य सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का परिकलन पाटन मार्जिन तालिका में किये गये उल्लेख के अनुसार किया गया है। पैक्ड या ड्रमों में निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के संबंध में ड्रम की लागत को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, जोड़ा गया है।

<u>यूएसए के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के मामलें में सामान्य मूल्य</u>

30. यह नोट किया जाता है कि यूएसए के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर देकर प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने ईयू और यूएसए में सामान्य मूल्य का ब्यौरा आईसीआईएस-एलओआर में प्रकाशित सम्बद्ध वस्तु की कीमत के आधार पर प्रदान कराया है। यह नोट किया जाता है कि आईसीआईएस-एलओआर विश्व का सबसे बड़ा पैट्रोरसायन बाजार सूचना प्रदायक है और इसे कीमत निर्धारण सूचना प्रदान कराने का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है तथा यह कीमत निर्धारण आंकड़े, उच्च मूल्य समाचार, विश्लेषण तथा स्वतंत्र परामर्श प्रदान

करता है। निर्धारित स्वरुप और ढंग में सम्बद्ध निर्यातकों से (आक्जो नाबेल को छोड़कर) किसी प्रकार के प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने यूएसए में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार किया है। इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य

31. यह नोट किया जाता है कि कोरिया के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर देकर प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने ईयू और यूएसए में सामान्य मूल्य का विवरण आईसीआईएस-एलओआर में प्रकाशित सम्बद्ध वस्तु की कीमतों के आधार पर प्रदान कराया है। तथापि, याचिकाकर्ता ने कोरिया आरपी के लिए आईसीआईएस-एलओआर कीमत उपलब्ध नहीं कराई है। यद्यपि सैमसंग फाइन कैमिकल्स ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया है तथापि कंपनी ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है प्राधिकारी यह नोट करते है कि निर्धारित स्वरुप और ढंग में संबद्ध निर्यातकों से प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने कोरिया आरपी के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण प्रमुख नियमों के नियम 6 (8) के अनुसार अर्थात कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, सर्वोत्तम खपत मानदंड और तर्कसंगत लागत मार्जिन को ध्यान में रखते हुए किया है। इस तरह निर्धारित किये गये सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

यूएसए और कोरिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

32. यह नोट किया जाता है कि यूएसए कोरिया के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के आधार पर डाटा प्रदाय एजेंसियों द्वारा प्रदान कराई गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सूचना पर विचार किया है और निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए किया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि लूज/अनपैक्ड और पैक्ड सामग्री की कीमत में भारी अंतर है और इसलिए इस उत्पाद के दोनों रुपों के लिए पृथक निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। प्राधिकारी ने विचार किया है कि आयातित उत्पाद को जीआई ड्रमों में पैक किया गया था। यूएसए और कोरिया आरपी के निर्यातकों से असहयोग को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावों के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। निवल निर्यात कीमत का निर्धारण फैक्ट्री बाह्य स्तर पर किया गया है।

पाटन मार्जिन

33. लूज/बल्क के रुप में और ड्रम्स में पैक संबंध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर ऊपर यथानिर्धारित विचार करते हुए सम्बद्ध वस्तु के लिए समग्र रुप से पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है। यह देखा जाता है कि सम्बद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक तथा काफी है।

पाटन मार्जिन — इकाई अमरीकी डालर/किग्रा में

विवरण	इकाई	ईयू		यूएसए	कोरिया गणराज्य
		मैसर्स आक्जो नोबेल इंडस्ट्रियल केमिकल्स बीवी, नीदरलैंड्स	अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	सभी उत्पादक एवं निर्यातक	सभी उत्पादक एवं निर्यातक
लूज/बल्क					
सामान्य मूल्य	अम.डा/किग्रा.	***	***	***	***

निवल निर्यात कीमत	अम.डा/किग्रा.	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	अम.डा/किग्रा.	***	***	***	***
पाटन मार्जिन %	%	***	***	***	***
पाटन मार्जिन %	रेंज %	220-230%	250-260%	300-310%	60-70%
<u>पैक्ड/ड्रम</u>					
सामान्य मूल्य	अम.डा/किग्रा.	-	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	अम.डा/किग्रा.	-	***	***	***
पाटन मार्जिन	अम.डा/किग्रा.	-	***	***	***
पाटन मार्जिन %	%		***	***	***
पाटन मार्जिन %	रेंज %		170-180%	190-200%	70-80%
<u>विचाराधीन</u> उत्पाद समग्र रुप से					
सामान्य मूल्य	अम.डा/किग्रा.	***	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	अम.डा/किग्रा.	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	अम.डा/किग्रा.	***	***	***	***
पाटन मार्जिन %	%	***	***	***	***
पाटन मार्जिन %	रेंज %	220-230%	230-240%	300-310%	60-70%

ड. **<u>क्षति निर्धारण</u>**

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

34. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है:-

i. विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने वर्षों से भारी वृद्धि प्रदर्शित की है जबकि जांच की अवधि के दौरान यह वृद्धि बहुत अधिक रही।

ii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।

iii. मांग के सम्बद्ध देशों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक बना रहा। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई। तथापि यह वृद्धि क्षमताओं में भारी वृद्धि के कारण हुई है।

iv. विदेशी उत्पादकों द्वारा या इन व्यापारियों द्वारा कीमतों में कमी के साथ भारतीय उत्पादकों या तो इन आयातों की कीमतों या व्यापारियों की पुनबिक्री कीमत में हुए परिवर्तन के साथ अपनी आयात कीमतों को उनके अनुरुप बनाना चाहिए था और यदि वे ऐसा नहीं करते तो याचिकाकर्ता अपने आर्डर खो देते।

v. घरेलू उद्योग की कीमतें व्यापार पत्रिकाओं में रिपोर्ट की गई कीमतों और व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही कीमतों का मिलाजुला प्रभाव प्रदर्शित करती है।

vi. आयातित वस्तुएं असम्वेष्ठित तथा पैक्ड दोनों रुपों में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रही है। समग्र रुप से विचाराधीन उत्पाद के सम्बंध में भी कीमत अधोरदन बहुत अधिक है।

vii. घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें अत्यधिक तेजी से एवं अक्सर कम करने के लिए मजबूर किया गया।

viii. घरेलू उद्योग वर्ष 2010-11 की अवधि में अच्छा क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम थी परंतु इसमें उसके पश्चात गिरावट आई।

ix. घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2010-11 में हल्की सी गिरावट आई परंतु उसके पश्चात संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान इसमें वृद्धि प्रदर्शित हुई।

x. घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर अर्जन और नकद लाभ के रुप में भारी हद तक तेजी से गिरावट आई।

xi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में गिरावट आयात कीमतों में बिना किसी न्यायोचित से आई गिरावट के कारण हुई। इसके अतिरिक्त कीमतों में गिरावट और उसके परिणामस्वरुप लाभ में कमी होना अपरिणामी नही था। यह बहुत अधिक बहुत तेजी से और अचानक हुआ था।

xii. एक अग्रणी बाजार रिपोर्ट ने उल्लेख किया है कि यूरोपीय उत्पादकों ने यह सहमति व्यक्त की है कि कीमतों में गिरावट पत्रिका की आकलित से अधिक हो गई और भारत मिथाइलीन क्लोराइड का निर्यात करने के लिए सबसे कम कीमत वाला स्थान था।

xiii. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि क्षति पीटीएफई का निष्पादन करने के कारण हुई, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि पीटीएफई बिक्री मात्रा में इस अवधि के दौरान नुकसान हुआ तो भी ऐसा क्लोरोफार्म के उत्पादन में और उसके परिणामस्वरुप एमडीसी के उत्पादन में कमी की बदतर स्थिति में ही हो सकता है। तथापि तथ्य यह है उक्त अवधि में एमडीसी और क्लोरोफार्म के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई।

xiv. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि क्लोरोफार्म की मांग में गिरावट और उसके परिणाम स्वरुप एमडीसी की मांग में गिरावट के रुप में यह गिरावट बाजार में चक्रीय प्रभाव के कारण आई है, घरेलू उद्योग यह निवेदन करता है कि उक्त अवधि में क्लोरोफार्म की खपत में वृद्धि और उसके परिणामस्वरुप क्लोरोफार्म के उत्पादन में वृद्धि हुई। किसी भी मामले में क्लोरोफार्म की मांग में गिरावट का आशय यह होता कि क्लोरोफार्म के उत्पादन में कमी आती, और यदि एमडीसी तथा क्लोरोफार्म दोनों सह-उत्पाद है, तो एमडीसी के उत्पादन में भी गिरावट आती।

xv. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि सम्बद्ध वस्तु के लिए गलत क्षमता पर विचार किया है और इस क्षमता पर निर्धारित लागत का आबंटन करने से गलत परिकलन हुआ, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि लागत नियतन/अभिभाजन क्षमता के आधार पर नहीं किया गया है। अत:, विचारित क्षमता कुछ भी हो परंतु यह किसी भी मामले में एमडीसी पर प्रभारित व्ययों के नियतन/ अभिभाजन को निष्फल नहीं करती है। प्रति यूनिट उत्पादन की परिवर्तन लागत में वास्तव में इस अवधि के दौरान भारी गिरावट आई। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति किसी भी हाल में, इस उत्पाद के लिए नियत उच्चतर व्यय के कारण नही हुई होगी।

xvi. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि कोई मात्रा हानि नही हुई, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि उत्पाद की आयात कीमत में तेजी से गिरावट आई है। जब तक घरेलू उद्योग आयात कीमतों से तुलनीय कीमतें प्रस्तुत कर रहा है तब तक घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन मात्रा की बिक्री करने में सक्षम है। तथापि घरेलू उद्योग मांग की जरुरत के मुताबिक उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम होते हुए भी घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त न्यून कीमत प्रापण इस उत्पाद का देश में पाटन का परिणाम है। यह कीमतें वस्तुत: उत्पादन लागत से कम थी इनके कारण लाभ, नकद लाभ और निवेश पर अर्जन में भारी गिरावट हुई है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ।

xvii. जहां तक इस तर्क सम्बंध है कि जीएफएल ने कार्यकुशल प्रौद्योगिकी के कारण अपनी कीमतें कम की और क्षति कारित की, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि देश में विस्तारित क्षमता की तुलना में इस उत्पाद के लिए भारतीय मांग बहुत अधिक है, जीएफएल को कीमतों में कमी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यिद जीएफएल कीमतों में गिरावट के लिए उत्तरदायी है तो वर्ष 2013 में और खासकर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात कीमतों में सुधार नहीं हुआ होता।

xviii. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन करने में तेलंगाना हड़ताल का विपरीत प्रभाव पड़ा है घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि सम्बंध वस्तु की मांग में हल्की सी गिरावट के लिए यह कारक उतरदायी हो

सकता है। तथापि घटी हुई मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अभी बहुत अधिक थी और इसलिए इस उत्पाद की खपत में गिरावट घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं हो सकता है।

xix. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि घरेलू उद्योग निर्यातकर्ताओं को अपने समान की बिक्री कम कीमतों पर करने के लिए मजबूर कर रहा है, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि उपभोक्ताओं को कीमत में गिरावट देश में उत्पाद के पाटन के परिणाम स्वरुप हुई है। जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा आयात कीमतों से तुलनीय कीमतें प्रस्तुत करने का संबंध है, याचिकाकर्ता अपने उत्पाद की मात्रा की बिक्री करने में सक्षम है।

<u>आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

35. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किये गये है:-

i. प्राधिकारी को याचिकाकर्ता का यह तर्क स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उत्पादन, घरेलू बिक्रिया तथा मालसूची को क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ असंगत माना जाए। यह कारक सर्वाधिक संगत है और इसलिए इनकी सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए।

ii. जांच की अवधि के दौरान उत्पादन घरेलू बिक्रियों, बाजार हिस्सा, रोजगार, वेतन और उत्पादकता सभी में वृद्धि हुई है इसलिए सारत: क्षति का मामला नहीं बनता है।

iii. जांच की अवधि के दौरान सभी मात्रात्मक पैरामीटरों में निष्पादन में सुधार हुआ है और तदनुसार मात्रा पैरामीटरों के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

iv. जहां तक लाभप्रदायकता का संबंध है, इस तथ्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए कि क्या यह कथित क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है या नहीं। क्षमताओं में विस्तार करना भी वित्तीय क्षति का कारण हो सकता है।

v. एमडीसी बाजार का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि लाभप्रदायकता में गिरावट एक वैश्विक घटना हो सकती है।

vi. अधिकांश सामान्य कच्चे माल की कीमतें क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान समान ही बनी रही। विदेशी मुद्रा अर्जन में पीटीएफई बाजार स्थितियों के कारण गिरावट आयी है। सभी सह उत्पादों का क्लोरोमिथेन से द्विशाखन नहीं है इसलिए इस क्षति के लिए मिथाइलीन क्लोराइड को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

vii. घरेलू उद्योग मूलत: रेफ्रिजरेशन गैसों और पीटीएफई का उत्पादन करता है परंतु इसके निष्पादन में गिरावट आयी है। इसकी जांच नहीं की गई है।

viii. मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के अनुरोध का समर्थन करता है परंतु क्षति पैरामीटरों का निर्धारण करने के लिए सूचना प्रदान करने का इच्छुक नहीं है। एसआरएफ का एक नया संयंत्र और नई प्रौद्योगिकी है और इसलिए इसकी उत्पादन लागत कम है जिससे इसकी बिक्री कीमत कम है और वह दूसरो को अपनी कीमत कम करने के लिए एक कारण है।

ix. मैसर्स गुजरात अलकलीज एवं केमिकल्स लिमिटेड, एक अन्य घरेलू उत्पादक, एक केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है जिसने इस संपूर्ण जांच में अपनी उदासीनता प्रदर्शित की है इसलिए एक दृढ़ पूर्वा अवधारणा यह है कि उन्हें सम्बद्ध वस्तु के आयातो के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

x. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आयातों में समग्र रुप से वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इनमें वास्तव में गिरावट आयी है। आयातों में भारत में सम्बद्ध वस्तु की खपत अथवा उत्पादन के संबंध में वृद्धि नहीं हुई है।

xi. क्षमताओं के संबंध में सूचना को निम्नलिखित दो कारणों से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए:- (i) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में तथ्यात्मक अयथार्थता (ii) उन क्षमताओं का अयथार्थ चिन्हाकन जिनका अन्य क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण करने पर प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष भिन्न क्षमता का प्रस्तुतिकरण किया गया है। एमडीसी के लिए अयथार्थ उच्चतर क्षमता के कारण एमडीसी को अवक्षयण लागत का उच्च नियतन किया गया है।

xii. एमडीसी की अयथार्थ उच्चतर क्षमताओं से एमडीसी को लागत मूल्यह्रास का उच्चतर आवंटन किया गया है और अन्य उत्पादों के लिए न्यूनतर नियतन किया गया है; प्रक्षेपित लागत जितनी उच्चतर होगी उतना ही अधिक नुकसान होगा और यह प्रदर्शित होगा तथा लगाई गई पूंजी पर आवक का अयथार्थ आवंटन होगा।

xiii. घरेलू उद्योग द्वारा अनुभव किया गया कीमत दवाब बाजार के चक्रीय प्रभावों के कारण हुआ है न कि सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण।

xiv. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान सभी मात्रात्मक पैरामीटरों में निष्पादन में सुधार होने की रिपोर्ट दी गई है और इसप्रकार मात्रा पैरामीटरों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

xv. जीएफएल ने अपने कीमतें संवर्धित क्षमता का उपयोग करने के लिए कम कर दी है। जीएफएल को इस समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ असाधारण लागत को लगाना चाहिए। घरेलू कीमत में इतनी अधिक गिरावट और लागत में वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को क्षति जांच के दौरान कीमत निग्रहन और कीमत अवमंदन के कारण हुई है।

xvi. शुल्क दर को यूएस डालर में निर्धारित करने के परिणामस्वरुप क्षति मार्जिन में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास होने के कारण क्षति मार्जिन परिवर्तित होकर 22.32/किग्रा. हो गयी अर्थात यह वास्तविक 15 प्रतिशत के मूल्य ह्रास से काफी अधिक है।

xvii. वर्ष 2011 ने एक नये राज्य का सृजन करने की तेलंगाना आंदोलन की मांग के परिणाम स्वरुप संपूर्ण आंध्रप्रदेश में, खासकर विद्युत का उत्पादन करने के संबंध में, समस्त व्यवसाय ठप हो गया। बिजली की यह भीषण कमी वर्ष 2012 के शुरुआती महीनों में भी लागू रही। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को होने वाली किसी भी क्षति के लिए बिजली की भारी कमी ही उत्तरदायी है और न कि यह क्षति सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण हुई है।

xviii. भारत में घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें इस हद तक कम रखी कि कोई भी निर्यातक जो भारत को सम्बद्ध वस्तु का निर्यात करने का इच्छुक हो उसे अपने निर्यात कीमतें कम करनी ही पड़ती। चूंकि भारत फार्मास्युटिकल उद्योग का एक तेजी से उभरता हुआ केन्द्र है इसलिए कोई भी बड़ा फार्मा फीडर उद्योग भारत की अनदेखी नहीं कर सकता है। अत: घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित न्यूनतर कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ईयू और यूएसए के उत्पादों ने अपने मार्जिन तथा भारत को अपने निर्यात में कमी करनी पड़ी।

xix. वित्त वर्ष 2012-13 में आवेदनकर्ताओं का प्रचालनात्मक राजस्व 2069 करोड़ रुपये से घटकर 1596 करोड़ रुपये हो गया जिससे इसमें 473 करोड़ रुपये की गिरावट आयी। इसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 1460 करोड़ रुपये से घटकर 797 करोड़ रुपये हो गया इस प्रकार इसमें पीटीएफई बाजार दर्शाओं (क्लोरोफार्म आधारित) के कारण और न की सम्बद्ध वस्तु के कारण 623 करोड़ रुपये की गिरावट आयी है।

xx. बेशी क्षमता और उत्पादक तथा आपूर्ति जिनमें आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा तेलंगाना मुद्दे के कारण राज्य व्यापी हड़ताल से अवरोध उत्पन्न हुआ और इसके परिणाम स्वरुप मांग में गिरावट आयी, इससे घरेलू उद्योग को अपना बेशी उत्पादन बिना लाभ के बेचने के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xxi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सम्बद्ध देशों में कमजोर घरेलू मांग के कारण भारत में पाटन हुआ, हितबद्ध पक्षकार यह प्रस्तुत करते है कि कमजोर घरेलू मांग के कारण अन्य देशों के सस्ता आयात होना चाहिए था ना कि चुनिंदा रुप से एक देश अर्थात भारत के लिए।

xxii. घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपनी कीमतों को आयात कीमतों के अनुरुप नहीं बनाया। आयात कीमतों में तेजी से वृद्धि होने या उनमें कमी होने से घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में +/- 3 प्रतिशत तक परिवर्तन करना होता है। अत: जब निर्यातकों ने अपनी कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया वही घरेलू उद्योग ने जानबूझ कर अपने कीमतें कम रखी और निर्यातकों को उत्तरवर्ती माह में अपनी कीमतें समरुप बनाने और अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया।

xxiii. मांग-आपूर्ति में अंतराल होने के बावजूद घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों का लगभग 64 प्रतिशत बाजार हिस्सा बना रहा जबकि सम्बद्ध आयात कुल भारतीय घरेलू उत्पादकों के हिस्से का केवल आधा था। तब यह संभव कैसे है कि छोटा उत्पादक बड़े उद्योग की कीमतों को नियंत्रित करेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा चालू विधियों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों पर संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया और उनकी निम्नवत तथा इस जांच परिणाम के संगत खंडों में जांच की गई है:-

i. इस तर्क के संबंध में कि मात्रा पैरामीटरों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए और यह कि यह पैरामीटर सुधार प्रदर्शित करते है और इसलिए सारवान क्षति का मामला ही नहीं बनता है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, बाजार हिस्सा के रुप में सुधार हुआ है परंतु लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर अर्जन और माल सूची के रूप में इसके निष्पादन में गिरावट आयी है। लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह में गिरावट बहुत अधिक और सारवान है।

ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि क्षमताओं में वृद्धि वित्तीय क्षति का कारण हो सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री केवल तभी कर सकती थी जब उसकी कीमतें आयात कीमतों से तुलनीय हो ।

iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग मूलत: रेफ्रिजरेशन गैसों और पीटीएफई का उत्पादन करता है जिसके निष्पादन में गिरावट आयी है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि सम्बद्ध जांच मिथाइलीन क्लोराइड के आयातों से संबंधित है और घरेलू रूप से उत्पादित मिथाइलीन क्लोराइड को सम्बद्ध देशों से उसके पाटित आयातों को ध्यान में रखते हुए क्षति हुई है। अन्य उत्पाद इस जांच के दायरे से बाहर है। इसलिए पीटीएफई के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन महत्वहीन है।

iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये है और जीएससीएल ने इस जांच से उदासीनता प्रकट की है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें क्षति नहीं हो रही है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि (क) याचिकाकर्ता नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और (ख) घरेलू उद्योग को क्षति निर्धारण करना प्राधिकारी से अपेक्षित है। किसी भी मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह स्पष्ट करता हो कि एसआरएफ या जीएसीएल को क्षति नहीं हुई है। पुन: यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियम प्राधिकारी से यह अपेक्षा करते है कि वह घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करें। नियम 2(ख) में प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में जहां सभी उत्पादकों ने क्षति सूचना प्रदान नहीं की है वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या क्षति सूचना प्रदान कराने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है या नहीं। याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन वर्तमान मामलें में एक बड़ा अनुपात है और इसलिए याचिकाकर्ता कंपनियां नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं।

v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता को गलत चिन्हित किया है और उसने विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न संयंत्र क्षमताएं प्रस्तुत की है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण में क्लोरोमिथेन क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में सूचना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी गई कि तीनों उत्पाद समान से उत्पादित किये जाते है। इसके अतिरिक्त, लागत के तत्व क्षमताओं पर आधारित नहीं है। वे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से जुड़े पैरामीटरों पर आधारित है। घरेलू उद्योग के उत्पादन का सत्यापन रिकार्डों से किया गया है। इसलिए क्षमताओं में संभावित अंतर का घरेलू उद्योग की क्षति के जांच परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

vi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि लागत निर्धारण क्रियापद्धितयों के अंतर्गत प्रावधान किये गये अधिगमों का अनुसरण नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते है कि उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए सुस्थापित क्रियापद्धति को अपनाया गया है जो वही है जिसका उल्लेख हितबद्ध पक्षकारों ने अपने उत्पादन मूल्य अनुपात में किया है।

vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा कीमत दवाब बाजार के चक्रीय प्रभाव के कारण महसूस किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि इस मामलें के तथ्य यह सिद्ध नहीं करते है कि विचाराधीन उत्पाद चक्रीय

प्रकृति का है। न ही हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट बाजार के चक्रीय प्रभाव के कारण आयी है। इसके विपरीत, आंकड़े यह दर्शाते है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्तमान जांच की अवधि में सारवान कमी आयी है जबकि पाटन के परिणाम स्वरुप आयात कीमतों में भारी गिरावट आयी।

viii. इस तर्क के संबंध में कि जीएफएल ने अपनी कीमतों में कमी कर दी है और उसके कारण ही क्षति हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते है कि आयात कीमतों में भारी कमी आयी है और उससे ही घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतों में कमी की गई। प्राधिकारी यह भी नोट करते है कि इस उत्पाद की मांग भारतीय उत्पादकों की क्षमता से कही ज्यादा है। भारतीय उत्पादकों तथा ऐसी परिस्थितियों में घरेलू उद्योग के किसी भी संघटक के लिए यह जरुरी नहीं था कि वह इतनी अधिक कीमत को कम करने का आश्रय लेता। घरेलू उद्योग को विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनी कीमतों में कमी कर देने के कारण ही घरेलू उद्योग को अपनी कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

ix. पाटन रोधी शुल्क की मुद्रा के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते है कि अंतरिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश अमरीकी डालर में करने का निश्चय करना इस संबंध में प्राधिकारी की परंपरा के अनुरुप है।

x. इस तर्क के संबंध में कि तेलंगाना हड़ताल में कोयले के उत्पादन को प्रभावित किया जिससे उस राज्य के विद्युत केन्द्र प्रभावित हुए, यह नोट किया जाता है कि उक्त कारक उपभोक्ता उत्पादों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए उत्तरदायी है और सम्बद्ध वस्तु की मांग में कुछ गिरावट के लिए उक्त कारक ही उत्तरदायी हो सकती है। तथापि उक्त कारक ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन पर भारी प्रभाव नहीं डाला है। इसके अतिरिक्त सम्बद्ध वस्तु के लिए जांच अवधि में मांग घरेलू उद्योग की क्षमताओं और उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक थी इसलिए उत्पाद की खपत में परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं हो सकता है।

xi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें कम कर दी जिसके कारण निर्यातकों को कम कीमतों पर निर्यात करना पड़ा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की आयात कीमत और बिक्री कीमत का मासिक उतार चढ़ाव दर्शाता है कि आयात कीमतों में कमी आना प्रारंभ हो गयी थी जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों में कमी कर दी गई है।

xii. जहां तक वर्ष 2012-13 में प्रचालन राजस्व में गिरावट के लिए कारणों से सम्बंधित तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित राजस्व और लाभ पर ही विचार किया गया है। अन्य उत्पादों अथवा विदेशी विनिमय में परिवर्तन के कारण अन्य उत्पादों को हुए लाभ या क्षति का कोई विशेष महत्व नहीं है।

xiii. इस तर्क के संबंध में कि इस उत्पाद की कम मांग आंध्र प्रदेश में तेलंगाना मुद्दे के कारण हुई जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपने वेशी उत्पादन की बिक्री बहुत कम कीमतों पर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह नोट किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के लिए कम हुई मांग भारतीय उद्योग की क्षमता और उसके उत्पादन से कहीं अधिक ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद के आयातों में इतनी कम मांग होने के बावजूद भारी वृद्धि हुई अत: देश में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xiv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने आयात कीमतों में वृद्धि या कमी के समरूप अपने कीमतों में परिवर्तन नहीं किया जबकि आयातों कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई या उनमें तेजी से गिरावट आयी, प्राधिकारी यह नोट करते है कि नियमों के अंतर्गत जो संगत है वह यह है कि क्या आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया अथवा क्या आयातों के कारण बाजार में कीमतों का निग्रहण/अवमंदन हुआ।

xv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सम्बद्ध देशों में कमजोर घरेलू मांग के कारण सम्बद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात किया गया और निर्यात बहुत कम कीमतों पर किया गया, प्राधिकारी यह नोट करते है कि समबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू कीमतें और जांच की अवधि के दौरान भारत में उसकी निर्यात कीमतें ही पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक है।

xvi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि भारतीय उत्पादकों का बाजार में 64 प्रतिशत हिस्सा है और आयातों का केवल 36 प्रतिशत हिस्सा है और इसलिए आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते है, प्राधिकारी यह प्रेक्षा

करते है कि यह उत्पाद देश में मुक्त रूप से आयात करने योग्य है। वह कीमतें जिनपर देश में उक्त वस्तु का आयात किया गया है उनका उन कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव है जिन्हें घरेलू उद्योग बाजार में प्रस्तुत कर सकता है। बाजार में आयातों की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुए आयातों का उन कीमतों पर प्रभाव है जिनपर घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री कर सकता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा सत्यापित आकड़े यह स्पष्टत: दर्शाते है कि आयात कीमतों में भारी गिरावट आयी है और उसके परिणामस्वरुप ही जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आयी है जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को देश में इस उत्पाद का पाटन होने के कारण अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

37. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतरग्रस्त होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति प्रदर्शित करेंगे, ''..... सभी संगत तथ्यों पर ध्यान देते हुए जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में सामान वस्तु के लिए कीमतों पर उनका प्रभाव और इन आयातों का समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है.....''। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत से तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों का अन्यथा प्रभाव कीमतों को इतनी अधिक मात्रा में अवमंदित करना हैं या वे कीमतों को बढ़ने से रोक रहे है, जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुई होती।

38. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 2 में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, और (ख) इन आयातों के समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की उद्देश्यपरक जांच किये जाने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जांच करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को भारी मात्रा में कम करना अथवा उन्हें बढ़ने से रोकना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुआ होता।

39. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह उल्लेख किया गया है कि:-

''संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और देशनांकों का मूल्यांकन करना शामिल होता है जिसका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जिसमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन अथवा क्षमता उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, विकास, पूंजीगत निवेश उगाहने की क्षमता शामिल होती है।''

40. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों की कीमतों की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे देशनांकों पर विचार किया है जिनका इस उद्योग की स्थिति जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टाक, निवल, लाभ, निवल बिक्री प्रापण, पाटन की मात्रा और उसका विस्तार शामिल है पर प्रमुख नियमावली के अनुबंध-2(iv) के अनुसार विचार किया है।

<u>संचयी आकलन</u>

41. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2(iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद का आयात हो रहा है जिनके संबंध में पाटनरोधी जांच की जा रही है वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इन आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे और यदि यह निश्चित हो जाता है कि:-

(क) प्रत्येक देश/भू-भाग से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रुप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत है अथवा जहां कहीं इकलौते देश के निर्यात तीन प्रतिशत से कम है वहां आयातों में संचयी रुप से समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, और;

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और उसके समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित होता है।

वर्तमान मामले में,

(क) प्रत्येक सम्बद्ध देश से पाटन का मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमा से अधिक है;

(ख) ऐसे प्रत्येक देश से आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है;

(ग) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपर्युक्त है क्योंकि सम्बद्ध देशों से किये गये निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान मामले में संचयी आकलन करने के लिए कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है।

42. उपर्युक्त के आलोक में प्राधिकारी आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना ठीक समझते है।

<u>मांग एवं बाजार हिस्सा</u>

43. सम्बद्ध वस्तु की मांग/घरेलू खपत का आकलन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में कुल आयातों से जोड़ा गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग तथा समर्थनकर्ताओं की बिक्रियां	एमटी	51,345	58,050	75,200	89,305
अन्य उत्पादों की बिक्री	एमटी	19,024	19,134	19,712	19,037
सम्बद्ध देश-आयात	एमटी	42,033	55,847	60,975	51,952
अन्य देश-आयात	एमटी	13,787	10,111	23,469	5,866
कुल मांग/ खपत	एमटी	126,189	143,142	179,356	166,160

44. यह नोट किया जाता है कि मांग ने संपूर्ण क्षति अवधि से लेकर वर्ष 2011-12 तक सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है परंतु उसमें जांच की अवधि में गिरावट आयी है। समग्र रूप से क्षति अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हुई है।

च. **पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव**

<u>आयात मात्रा और बाजार हिस्सा</u>

45. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान कराये गये आयात आंकड़ों पर भरोसा करना पड़ा है । सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नवत किया गया है ।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
सम्बद्ध देश	एमटी	42,033	55,847	60,975	51,952
ईयू	एमटी	31,878	32,762	42,418	38,002

यूएसए	एमटी	9,359	22,499	14,283	11,886
कोरिया गणराज्य	एमटी	796	586	4,274	2,064
अन्य देश	एमटी	13,787	10,111	23,469	5,866
कुल आयात मात्रा	एमटी	55,820	65,958	84,444	57,818
आयातों में बाजार हिस्सा					
सम्बद्ध देश	%	75.30	84.67	72.21	89.85
अन्य देश	%	24.70	15.33	27.79	10.15
मांग में बाजार हिस्सा					
सम्बद्ध देश	%	33.31	39.01	34.00	31.27
अन्य देश	%	10.93	7.06	13.09	3.53
घरेलू उद्योग तथा समर्थनकर्ता	%	40.69	40.55	41.93	53.75
अन्य भारतीय उत्पादक	%	15.08	13.37	10.99	11.46
भारतीय उद्योग समग्र रुप से	%	55.76	53.92	52.92	65.20
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में कुल आयात	%	76.21	77.08	67.80	41.69

46. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों में आधार वर्ष से लेकर 2011-12 तक समग्र से वृद्धि हुई है परंतु जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आयी है। समग्र रूप से, सम्बद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में आधार वर्ष से तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, भारत को होने वाले कुल आयातों में सम्बद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आयी है। यह नोट किया जाता है कि एक घरेलू उत्पादक (जो मौजूदा घरेलू उद्योग का एक अंग है) ने अपनी क्षमताओं में भारी वृद्धि कर ली जिसके कारण भारी मात्रा में घरेलू उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके परिणाम स्वरुप विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सम्बद्ध के आयातों में कुछ गिरावट आयी है। इसके अतिरिक्त सम्बद्ध देशों से आयातों तथा सम्बद्ध वस्तु के कुल आयातों में भारत में खपत के सम्बद्ध में गिरावट आयी है जो घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं में वृद्धि किये जाने का संकेतक है।

छ. <u>आयातों का कीमत प्रभाव</u>

47. पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों से तुलना करने पर पाटित आयात द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव भारी मात्रा में कीमतों का अवमंदन करता अथवा उन्हें बढ़ने से रोकता जो अन्यथा निश्चित रूप से भारी मात्रा हुआ होता। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है ।

अवधि के दौरान कीमतों का क्रमिक विकास

48. क्षति अवधि में सम्बद्ध देशों में उद्भवित आयातों की औसत सीआईएफ कीमत निम्नलिखित है:-

सम्बद्ध देश	आयात कीमत	अवसारित कीमत
	रुपये/किग्रा.	रुपये/किग्रा.
2009-10	23.04	25.05
2010-11	36.15	39.31
2011-12	36.30	39.46
जनवरी,12 -दिसमबर,12 (जांच की अवधि)	25.16	27.35

49. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सम्बद्ध वस्तु की सीआईएफ आयात कीमत जो वर्ष 2011-12 में 36.30 रुपये प्रति किग्रा. थी घटकर जांच की अवधि में 25.16 रुपये हो गयी, यद्यपि क्षति अवधि में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक आयात कीमतों में मामूली सी वृद्धि हुई है।

कीमत अधोरदन

50. यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का कीमत का अधोरदन कर रहे है, प्राधिकारी ने आयातों के अवसारित मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण से की है।

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
ईयू					
आयातों की अवसारित कीमत	रुपये/किग्रा.	26.46	39.80	38.39	27.98
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	रेंज %	10-20	5-15	0-10	0-10
यूएसए					
आयातों की अवसारित कीमत	रुपये/किग्रा.	19.35	38.55	41.64	24.70
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	रेंज %	35-45	10-20	ऋणात्मक	10-20

कोरिया आरपी					
आयातों की अवसारित कीमत	रुपये/किग्रा.	35.56	41.18	42.82	31.06
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	रेंज %	ऋणात्मक	5-15	ऋणात्मक	ऋणात्मक
सम्बद्ध देश समग्र रूप से					
आयातों की अवसारित कीमत	रुपये/किग्रा.	25.05	39.31	39.46	27.35
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	रेंज %	15-25	10-20	0-10	5-15

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सम्बद्ध वस्तु की अवसारित कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी जो यह दर्शाती है कि कोरिया गणराज्य को छोड़कर अन्य सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया जा रहा है।

<u>कीमत अधोबिक्रयण</u>

52. प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सहन किये गये कीमत अधोबिक्रयण की जांच भी की है जो निम्नलिखित है:

देश/निर्यातक	इकाई	ईयू	यूएसए	कोरिया आरपी
गैर क्षतिकारी कीमत	रुपये/किग्रा.	***	***	***
अवसारित कीमत	रुपये/किग्रा.	***	***	***
कीमत अधोबिक्रयण	रुपये/किग्रा.	***	***	***
कीमत अधोबिक्रयण %	%	***	***	***
कीमत अधोबिक्रयण %	रेंज %	45-55	65-75	30-40

53. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान भारी कीमत अधोबिक्रयण सहन करना पड़ा है।

कीमत निग्रहण और अवमंदन

54. यह निर्धारित करने के उद्देश्य से की क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को निग्रहित या अवमंदित कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है अथवा कीमतों को बढ़ने से रोकना है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागत एवं कीमत में अंतर पर विचार किया है। प्राधिकारी ने इस विश्लेषण के लिए लूज और पैक्ड सामग्री की औसत कीमत पर विचार किया है। अधोलिखित तालिका तथ्यात्मक स्थिति दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आयातों की अवसारित कीमत	रुपये/किग्रा.	25.05	39.31	39.46	27.35
बिक्री लागत	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*99*	*111*	*116*
बिक्री कीमत	रुपये/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*139*	*125*	*90*

55. जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री कीमत में गिरावट आयी है। अत: घरेलू उद्योग को कीमत निग्रहण सहन करना पड़ा।

56. उपर्युक्त तालिका से यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि हुई परंतु इसमें वर्ष 2010-11 में मामूली सी गिरावट आयी। बिक्री कीमत में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई परंतु इसमें उसके पश्चात गिरावट आनी प्रारंभ हो गयी और जांच की अवधि में इसमें भारी गिरावट आयी। यह भी नोट किया जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में अवसारित कीमत में गिरावट आयी है परंतु आधार वर्ष की तुलना में इसमें मामूली सी वृद्धि हुई है।

57. समग्र रूप से, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में भारी वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू समान उत्पाद की बिक्री कीमत में उसी अवधि के दौरान गिरावट आयी। यद्यपि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के अवसारित मूल्य में मामूली सी वृद्धि हुई है तथापि यह नोट किया जाता है कि सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर दिया है।

ज. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

58. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति निर्धारण में इन आयातों के ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव की उद्देश्य परक जांच करना अंतर्ग्रस्त होगा। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में पुन: यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और देशनांकों का उद्देश्य परक एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिनमें शामिल है बिक्री, लाभ, आउट-पुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन अथवा क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव।

59. घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति पैरामीटरों पर निम्नलिखित चर्चा की गई है;

i. <u>घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग</u>

60. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग का उल्लेख निम्नवत किया गया है:

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
संयंत्र क्षमता	एमटी	75,750	75,750	117,000	117,000
संयंत्र उत्पादन	एमटी	73,245	85,566	124,548	138,689
संयंत्र क्षमता उपयोग	%	96.69%	112.96%	106.45%	118.54%
उत्पादन-विचाराधीन उत्पाद	एमटी	35,324	42,422	62,788	73,966
बिक्री मात्रा					
घरेलू	एमटी	35,191	42,361	60,286	71,338
निर्यात	एमटी	189	60	2094	2638
कुल बिक्री	एमटी	35,380	42,421	62,380	73,976

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है जो एक सह उत्पाद है। चूंकि उत्पादन सुविधाएं साझा हैं और दोनों उत्पाद सह उत्पाद हैं इसलिए क्षमता उपयोग की जांच मिथाइलीन क्लोराइड और क्लोरोफार्म के संयुक्त उत्पादक पर विचार करते हुए की गई है।

62. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक कंपनी ने वर्तमान क्षति अवधि के अंदर अपनी क्षमता में विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि इस उत्पाद का क्षमता विस्तार देश में मांग-आपूर्ति अंतर को ध्यान में रख कर किया गया है और इसमें कंपनी द्वारा भारी पूंजी व्यय किया गया है। चूंकि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में विस्तार किया है इसलिए घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि उत्पादन और घरेलू बिक्री मात्रा में वृद्धि अनिवार्य हो गयी थी कि वह इस क्षमता वृद्धि का एक परिणाम है।

63. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष तथा विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि क्षमता वृद्धि का एक प्राकृतिक परिणाम यह होना चाहिए था कि कंपनी के लाभ में वृद्धि हो।

ii. **<u>बाजार हिस्सा</u>**

64. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है:

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग एवं समर्थनकर्ता की बिक्री	%	40.69	40.55	41.93	53.75

अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	15.08	13.37	10.99	11.46
सम्बद्ध देश-आयात	%	33.31	39.01	34.00	31.27
अन्य देश –आयात	%	10.93	7.06	13.09	3.53
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

65. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

iii. **<u>लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह</u>**

66. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि का विश्लेषण निम्नलिखित किया गया है:

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*99*	*111*	*116*
बिक्री कीमत	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*139*	*125*	*90*
लाभ/हानि	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*1,103*	*463*	*(525)*
लाभ/हानि	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*1,328*	*792*	*(1,065)*
पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*482*	*310*	*(248)*
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*691*	*461*	*(413)*
आरओआई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*410*	*228*	*(142)*

67. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि हुई जबकि बिक्री कीमत में वर्ष 2010-11 में वृद्धि हुई तत्पश्चात जांच की अवधि में इसमें लगातार तीव्र गिरावट आयी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2010-11 तक बढ़ोत्तरी हुई और उसके पश्चात इसमें गिरावट आनी शुरू हो गयी। घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में उस सीमा तक गिरावट आयी कि उसे जांच की अवधि में भारी वित्तीय घाटा हुआ ।

68. लाभ में गिरावट के परिणाम स्वरुप निवेश पर अर्जन और नकद लाभ में भी आधार वर्ष तथा विगत वर्ष से तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आयी है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में जांच की अवधि के दौरान भारी कमी हुई और जांच की अवधि में इसे नकद घाटा हुआ तथा निवेश पर ऋणात्मक अर्जन हुआ ।

iv. **<u>मालसूची</u>**

69. सम्बद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये है:

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
अथ स्टाक	एमटी	***	***	***	***
इति स्टाक	एमटी	***	***	***	***
औसत स्टाक	एमटी	174	137	331	411
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*79*	*191*	*236*

70. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष तथा विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान औसत स्टाक में वृद्धि हुई है।

v. **<u>रोजगार एवं पारिश्रमिक</u>**

71. रोजगार एवं पारिश्रमिक से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*105*	*127*	*134*
पारिश्रमिक	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*96*	*126*	*149*

72. चूंकि घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित रोजगार नहीं है इसलिए घरेलू उद्योग के रोजगार तथा संदत्त पारिश्रमिक के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच कंपनी के सभी प्रचालनों के लिए प्राप्त सूचना पर विचार करते हुए की गई है। यह देखा जा सकता है कि उक्त अवधि के दौरान रोजगार और पारिश्रमिक दोनों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

vi. **उत्पादकता**

73. उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रति दिन कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*120*	*177*	*209*
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	*100*	*114*	*140*	*156*

74. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन तथा प्रतिदिन उत्पादन के रूप में क्षति अवधि की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

vii. **पाटन की मात्रा**

75. घरेलू उद्योग को पाटित आयात जिस सीमा तक क्षतिकारित कर सकते है उसके संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा यह दर्शाती है कि सम्बद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और पर्याप्त है।

झ. **पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता**

76. यह भी नोट किया जाता है कि याचिकर्ता कंपनियां बहु उत्पाद कंपनियां है और याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक कंपनी ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमताओं में विस्तार है। घरेलू उद्योग ने मौजूदा क्षति अवधि के दौरान भारी मात्रा में निवेश किया है। अत: यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव नहीं डाला है।

viii. **घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

77. सम्बद्ध देशों से आयात कीमत, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा वे कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते है पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि सम्बद्ध देशों से आयातित माल का अवसारित मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और गैर क्षतिकारित कीमत से बहुत कम है जो भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन और कीमत अधोबिक्रयण कारित कर रहा है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू कीमतों के लिए बेंचमार्क संबंध देशों से आयात कीमतें हुआ करती है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि वर्तमान क्षमता सम्वर्धन के बावजूद अभी भी देश में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर है और इसलिए आयात अनिवार्य हो गए है। तथापि, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि ऐसे स्थिति में जहां आयात अनिवार्य हो गए हो विदेशी उत्पादकों को भारतीय बाजार में अपने उत्पाद की कीमतों का निग्रहण करने का कोई कारण नहीं बनता है वह भी भारतीय बाजार के लिए। घरेलू उद्योग ने पुन: यह तर्क दिया है कि भारी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जो बाजार में अक्रामक रुप से प्रचालन कर रहे है और यह व्यापारी उपभोक्ताओं को आक्रमक रूप से आयातित उत्पाद की पेशकश कर रहे है और इसलिए विदेशी उत्पादकों द्वारा अथवा इन व्यापरियों द्वारा कीमतों में कमी से या तो भारतीय उत्पादनकर्ताओं को अपनी कीमतें आयात कीमतों अथवा व्यापारियों की पुन: बिक्री कीमतों के अनुरुप बनानी चाहिए अथवा याचिकाकर्ताओं को बाजार में आर्डर नहीं मिलेगे। घरेलू उद्योग ने पुन: यह तर्क दिया कि वह अपनी कीमतों का निर्धारण भारत में निर्यात के लिए व्यापार पत्रिकाओं में रिपोर्ट की गई कीमतों, कांडला पत्तन पर माल की माल सूची के आधार पर करता है। अत: घरेलू उद्योग की कीमतें उन कीमतों के संयुक्त प्रभाव को प्रदर्शित करती है जो व्यापार पत्रिकाओं में रिपोर्ट की गई है और वे कीमतें जिनकी पेशकश व्यापारियों द्वारा की जा रही है। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के भारी आयात नहीं हुए है और इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानी नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि इस उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और यह घरेलू उद्योग द्वारा सामना किये गये कीमत अवमंदन के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं हो सकता है। अत: यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए एक मात्र उत्तरदायी कारक सम्बद्ध देशों से इस

उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है। जैसा की सूचना दर्शाती है, यद्यपि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है परंतु आयात कीमतें घरेलू उद्योग की लागत से बहुत कम है इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु की कीमतों का अवमंदन हुआ है। अत: सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु की अवसारित कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

ix. **विकास**

78. बिक्री और उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की सकारात्मक वृद्धि हुई है। तथापि, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर अर्जन के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास मांग में भारी वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में बहुत अधिक ऋणात्मक रहा है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि क्षमता में वृद्धि से घरेलू उद्योग लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर अर्जन में भारी वृद्धि की उम्मीद कर रही थी। तथापि घरेलू उद्योग पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	20.09	48.01	17.80
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	20.37	42.32	18.33
बिक्री लागत	%	-	(***)	***	***
बिक्री कीमत	%	-	***	(***)	(***)
लाभ/हानि प्रति इकाई	%	-	***	(***)	(***)
लगाई गई पूंजी पर अर्जन	%	-	***	(***)	(***)

ञ. **अनय ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध**

79. सारवान क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत और मात्रा प्रभाव की कीमत अधोरदन, अधोबिक्रयण और कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जांच करने के पश्चात, भारतीय नियमावली तथा पाटनरोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक पैरामीटरों की प्राधिकारी द्वारा जांच यह देखने के लिए की गई कि क्या कसेई अन्य कारक, पाटित आयातों के अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है।

(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

80. यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात उच्चतर कीमतों पर है अथवा वे मात्रा के रूप में बिल्कुल नगण्य है। जहां तक तालिका में दर्शाये गये चीन जन.गण के आयातों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चीन की आयात कीमत अन्य देशों से आयातों की कीमत से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त चीन जन.गण से आयात की मात्रा गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है जबकि प्रत्येक सम्बद्ध देश से आयात की मात्रा वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
आयात मात्रा	एमटी	55,820	65,958	84,444	57,818
सम्बद्ध देश	एमटी	42,033	55,847	60,975	51,952
चीन	एमटी	10,561	5,384	16,084	2,631
अन्य देश	एमटी	3,226	4,727	7,386	3,235
आयात मात्रा में हिस्सा	%	100	100	100	100
सम्बद्ध देश	%	75.30	84.67	72.21	89.85
चीन	%	18.92	8.16	19.05	4.55
अन्य देश	%	5.78	7.17	8.75	5.59
आयात कीमत	रुपये/किग्रा	24.25	36.67	37.90	25.65
सम्बद्ध देश	रुपये/किग्रा	23.04	36.15	36.30	25.16
चीन	रुपये/किग्रा	28.07	39.10	43.92	36.71
अन्य देश	रुपये/किग्रा	27.47	39.94	38.07	24.59

(ख) मांग में संकुचन तथा खपत की प्रणाली में परिवर्तन

81. संबंधित उत्पाद की मांग में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि होती रही है। मांग में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं हो सकता है।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास

82. संबंधित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षतिकारित करने वाला एक कारण नहीं है।

(घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

83. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान हो सकता हो।

(ड.) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

84. घरेलू उद्योग के निर्यात का उनकी कुल बिक्री में बहुत कम हिस्सा है। तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति सूचना घरेलू प्रचालनों के लिए है और इसलिए निर्यात मात्रा में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

85. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में प्रति-कर्मचारी उत्पादन और प्रति दिन उत्पादन दोनो में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

86. अत: यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते है कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों से कोई क्षति पहुंची होगी। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या इस उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है। निम्नलिखित पैरामीटर यह दर्शाते है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण ही हुई है:

क. सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में भारी कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू उद्योग द्वारा सहन किया गया कीमत अधोरदन और कीमत अवमंदन प्राथमिकता देश में पाटित उत्पादों के कारण कारित किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें उत्पादन लागत से भी कम करने को मजबूर किया गया जिससे उसे वित्तीय घाटा हुआ। इस प्रकार आयात द्वारा कारित कीमत अवमंदन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ में इस हद तक गिरावट आयी की घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होने लगा।

ग. कीमत अवमंद के परिणामस्वरुप लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर अर्जन के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आयी है। अत: इस उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर अर्जन के रुप में गिरावट आयी है।

87. अत:, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पाटित आयातों के कारण पहुंचाई गई है।

ट. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

<u>क्षति मार्जिन</u>

88. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु की निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सम्बद्ध देशों से निर्यातों के अवसारित मूल्य से की गई। इस तरह निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नलिखित है:

<u>क्षति मार्जिन</u> <u>इकाई अम.डा. प्रतिकिग्रा में</u>

देश/निर्यातक	इकाई	ईयू		यूएसए	कोरिया आरपी
		मैसर्स आक्जो नोबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंड्स	अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	सभी उत्पादक एवं निर्यातक	सभी उत्पादक एवं निर्यातक
<u>लूज</u>					
गैर क्षतिकारी कीमत	अम.डा./किग्रा	***	***	***	***
अवसारित कीमत	अम.डा./किग्रा	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डा./किग्रा	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	%	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	रेंज %	60-70%	85-95%	65-75%	30-40%
<u>पैक्ड</u>					
गैर क्षतिकारी कीमत	अम.डा./किग्रा		***	***	***
अवसारित कीमत	अम.डा./किग्रा		***	***	***

क्षति मार्जिन	अम.डा./किग्रा		***	***	***
क्षति मार्जिन %	%		***	***	***
क्षति मार्जिन %	रेंज%		70-80%	30-40%	40-50%
<u>विचाराधी</u> उत्पाद समग्र रूप से					
गैर क्षतिकारी कीमत	अम.डा./किग्रा	***	***	***	***
अवसारित कीमत	अम.डा./किग्रा	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डा./किग्रा	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	%	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	रेंज %	60-70%	80-90%	70-80%	30-40%

ठ. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

89. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के सम्बंध में कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का अनिवार्य ड्रग्स की उपलब्धता और वहनीयता पर गंभीर निहितार्थ होगा और घरेलू उद्योग का यह तर्क कि विचाराधीन उत्पाद किसी भी अधोगामी उत्पाद के उत्पादन में लागत का एक प्रमुख तत्व नहीं बनता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का देश में इस उत्पाद के उत्पादन की लागत और कीमत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन उस पाटन का उपशमन करना होता है जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित पर रहा हो और भारतीय बाजार में खुली और पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा का ऐसा माहौल पुन:स्थापित करना होता है जो देश में आम हित में हो। विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि विगत ने इस उत्पाद पर दो बार पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया और वह प्रभावी रहा। यह नोट किया गया कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण सम्बद्ध देशों से आयात को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटित प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर करेगा, घरेलू उद्योग को पतन से बचायेगा और उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में सहायता करेगा। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। प्राधिकारी यह नोट करते है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण सम्बद्ध देशों से आयात को किसी भी ढंग से प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए, उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्तागण आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत अब भी बनाये रख सकते है।

ड. सिफारिश

90. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाये गये मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. इस विचाराधीन उत्पाद का सम्बद्ध देशों से भारत को सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ग. यह वास्तविक क्षति सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध आयातों द्वारा कारित की गई है।

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच प्रारंभ की गई और इसकी सूचना सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दी गई। निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन, क्षति और उनके कारणात्मक संबंधों की एक जांच पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप शुरू करने और आयोजित करने और यह स्थापित करने के पश्चात कि सकारात्मक पाटन मार्जिन है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति इन आयातों द्वारा कारित की गई है, प्राधिकारी का विचार है कि क्षति कारित करने वाले पाटन को दूर करने के लिए शुल्क का अधिरोपण किया जाना अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने उनके द्वारा सहन की जा रही क्षति का निराकरण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी द्वारा अपनाये जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन से न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति दूर की जा सके। क्षतिमार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों के अवसारित मूल्य की तुलना इस जांच की अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की गैर क्षतिकारी कीमत से की गई है।

92. प्राधिकारी द्वारा अपनाये जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन से न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति दूर की जा सके। तदनुसार सम्बद्ध देशों में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र.सं.	शीर्षक/ उप-शीर्षक	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	290312	डाईक्लोरो-मिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)	यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन	मैसर्स आक्जो नोबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंड्स	मैसर्स आक्जो नोबेल इंडस्ट्रियल कैमिकल्स बीवी, नीदरलैंड्स	0.32	प्रति किग्रा	अम. डा
2	-वही-	-वही-	यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन	क्र.सं.1 के संयोजन के अलावा कोई अन्य		0.36	प्रति किग्रा	अम. डा
3	-वही-	-वही-	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	0.36	प्रति किग्रा	अम. डा
4	-वही-	-वही-	यूरोपियन यूनियन	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	0.36	प्रति किग्रा	अम. डा
5	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई	कोई	0.33	प्रति किग्रा	अम. डा
6	-वही-	-वही-	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई	कोई	0.33	प्रति किग्रा	अम. डा

7	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	0.33	प्रति किग्रा	अम. डा
8	-वही-	-वही-	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	कोई	कोई	0.21	प्रति किग्रा	अम. डा
9	-वही-	-वही-	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	कोरिया आरपी	कोई	कोई	0.21	प्रति किग्रा	अम. डा
10	-वही-	-वही-	कोरिया आरपी	सम्बद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	0.21	प्रति किग्रा	अम. डा

93. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी 6 सितम्बर, 2013 की प्रारंभिक जांच परिणाम की संपुष्टि करते हैं।

94. इस जांच परिणाम के विरूद्ध, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके स्वीकार हो जाने के पश्चात, वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क प्रशुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) में अपील की जा सकती है।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2014

FINAL FINDINGS

Sub: Anti-Dumping Investigation concerning import of "Methylene Chloride" originating in or exported from EU, USA and Korea RP – Final findings.

F.No.14/19/2012-DGAD.—Whereas the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Act) andCustoms Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time, received a written application from M/s. Chemplast Sanmar Limited and M/s. Gujarat Fluorochemicals Ltd. (hereinafter also referred to petitioners or applicants) alleging dumping of Methylene Chloride (hereinafter referred to as subject goods) from European Union, South Korea and USA (hereinafter referred to as subject countries).

2. Whereas the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 4th April, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in accordance with the sub-Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to consider recommendation of the anti-dumping duty.

A. PROCEDURE

3. The Procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of application alleging dumping and injury before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.

ii. The Authority issued a public notice dated 4th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicant) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the Anti-dumping Rules.

iv. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India (whose details were made available by the Applicant) and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-dumping Rules. A copy of the Application was also made available other interested parties, upon request.

vi. The Authority received a response from the Republic of Korea and M/s. Samsung Fine Chemicals. However none of the exporters from the Korea has submitted any response to the exporter's questionnaire.

vii. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:

a. DOW Chemicals

b. INEOS Chlor Limited

c. Solvay SA

d. Arkema SA

e. Occidental Chemical Corporation

f. Dow Texas Operations

g. Samsung Fine Chemicals

h. OCI Corporation

Response to questionnaire was filed by M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., Netherlands and Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Germany. Further, M/s. Samsung Fine Chemicals responded to the initiation notification. However, it did not file any questionnaire response.

viii. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:

a. Vardhaman Trading Corporation

b. Harsh Kumar & Company

c. Ralchem Limited

d. Morpean LABS

e. Surya Medicare Limited

f. Indsol Drugs Limited

g. Meghmani Organics Limited

h. United Phosphorus Limited

i. KDL Biotech Limited

j. Sun Pharmaceuticals Industries Limited

k. Rails India Limited

l. Alembic Limited

m. Hindustan Chemicals Industries

ix. Following importers/consumers responded to the initiation notification :

a. Hetero Labs Ltd

b. Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

c. Aurobindo Pharma Ltd.

d. Covalent Laboratories Ltd.

e. Ranbaxy Laboratories Ltd.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation. The transaction-wise import data received from the DGCI&S has been relied upon by the Authority in this finding.

xii. The cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out in accordance with Annexure III of the anti-dumping rules so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.

xiii. The Designated Authority notified the Preliminary Findings, *vide* notification No. 14/19/2012-DGAD dated, 06.09.2013 and recommended imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries. The interim recommendations made by the Designated Authority were accepted by the Central Govt. and interim duties were levied *vide* notification No 24/2013—Customs (ADD) dated 21st October, 2012.

xiv. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 22nd November, 2013. The parties who presented their views orally in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were also given an opportunity to offer rejoinder to the submissions made by opposing interested parties. The arguments made by interested parties in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in this notification.

xv. On the spot verification of the information provided by the applicants was carried out to the extent considered necessary for the purpose of Final findings.

xvi. Investigation was carried out for the period starting from 1st January 2012 to 31st December, 2012 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2009-March 2010, April 2010—March 2011 April, April 2011—March 2012 and the POI.

xvii. In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties vide disclosure statement dated 25th March, 2014 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this notification.

xviii. *** in this Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules. The following interested parties submitted their comments to the disclosure statement :

a The domestic industry.

b M/s. Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

c M/s. Aurobindo Pharma Ltd.

d M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd.

e M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Germany and M/s. Akzo Nobel

Industrial Chemicals BV, Netherlands.

The arguments received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in this notification.

xix. The weighted exchange rate adopted for the POI is 1 US $ =Rs 53.69

B. Product Under Consideration and Like Article

Views of the Domestic Industry

4. Submissions made by the domestic industry on product under consideration are as follows:

i. Methylene chloride is an organic compound with molecular formula CH2Cl2. It is a colourless liquid with sweetish ether-like odor, and is used as a solvent, predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use, however, can burn if strongly heated.

ii. There are no known grades of the subject good. However, it can be traded in loose or packed, thereby, having direct effect on prices.

iii. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under customs sub-heading 29031200. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

iv. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market and tariff classification of the goods.

v. As regards existence of different grades, interested party making such a claim is required to establish the existence of different grades on the basis of product description as appearing in the import data or other import documents. If indeed the product has been consumed in different grades, nothing prevents the interested parties from providing relevant documents showing existence of different grades. There is no information provided by these interested parties to show existence of different grades of the product.

vi. Whether the imports are loose or in drum, the description does not show that different grades are involved.

vii. Post disclosure, it has been reiterated that existence of different grades of methylene chloride has not been established by the interested parties, which needs to be established on the basis of product description, as mentioned in the import data and product specifications.

Views of the other interested parties

5. Submissions made by interested parties on product under consideration are as follows:

i. The applicant has misled and concealed information on vital aspect concerning product under consideration. Monograph of Methylene Chloride in Indian Pharmacopoeia shows that there are different grades of Methylene Chloride for which prices differ. Imports in drums may bear a label specifying the grades. Thus, price

differentials have been ignored by the Authority.

ii. There is price difference between drum packed and loose Methylene chloride which might not only be because of the cost of drum but may be on account of specific grades.

iii. Subject goods procured in drums IP grade is used as excipient in formulations basically for quoting of tablets. Impact of the price per tablet is 1%. Loose subject goods are mostly used by drug industry as solvent in the production on Active Pharmaceuticals Ingredients. Its usage and impact varies on drug to drug.

iv. Post disclosure, the other interested parties have mostly reiterated their submissions made earlier in the investigation proceedings. It has been submitted that the determination of the Authority that, there are no known grades of Methylene Chloride is wrong and is denied. The analysis carried out by them shows that difference in rate per unit for drum packs and loose Methylene Chloride is not merely on account of cost of drums but may be on account of specified grades coming in drums only. Loose Methylene Chloride is mostly used by the drug industry as a solvent in the process of production of Active Pharmaceutical Ingredients (API). Its usage and impact on the cost varies from drug to drug. In case market condition of Chloroform and PTFE continues to be the same, or further worsens, the domestic producers would be left with no option except to discontinue production of Chloroform and eventually Methelyne Chloride. It would spell doom for the drug industry. Basically, all the APIs particularly life saving drugs use Methylene Chloride as solvent and due to the step taken by the authorities, there will be shortage of life saving drugs in the country. The above step taken would cause injury to vast segment of drug manufacturers This being a serious matter the authority should look into this matter seriously instead of sided tracking the issue as the basis of injury determination particularly for joint products are faulty and wrong as already pointed out by us.

Examination of the Authority

6. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Methylene Chloride" also known as "Dichloromethane" and "Methylene Dichloride" (MDC).

7. Methylene chloride is an organic compound with molecular formula CH2Cl2. It is a colourless liquid with sweetish ether- like odor, and is used as a solvent, predominantly. It is essentially non- flammable under most conditions of use, however, can burn if strongly heated. Methylene chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents. MDC is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences.

8. There are two technologies for production of Methylene Chloride - Methane route and Methanol route. The product produced through the two routes has essentially similar technical specifications. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under customs sub-heading 29031200. The Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

9. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:

> "*like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation*."

10. After considering the information on record, the Authority has determined that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The consumers are using the two interchangeably.

11. With regard to the argument of the interested parties that there are different grades of Methylene Chloride, it is noted that the interested parties have not established existence of different grades of the product under consideration with significant difference in physical & chemical characteristics, manufacturing process, production technology, functions & uses, cost, price, etc. It is also noted that the Authority has not come across different grades of product under consideration with any significant difference in prices from the transaction wise import statistics which was made available by DGCI&S. In fact, it is noted that imports of subject goods are basically in bulk or drums. As regards the argument that there are different grades of subject goods, the Authority notes that if a product is imported in loose and drum, that does not imply that different grades of the product are involved. The Authority conducts separate analysis of different grades for the purpose of dumping margin, undercutting and injury margin, only if there is significant difference in the cost of production of different grades.

12. As far as difference in the cost & price of loose and drum product is concerned, the Authority has already acknowledged this fact in the preliminary findings and has done separate comparison of loose and drum product for the purpose of determination of dumping margin and injury margin. It is noted that both loose and packed form of the product have been imported into India and both have been supplied by the domestic industry.

13. As regards impact of the product on the prices of downstream product, the interested parties have not quantified and established that the impact of anti-dumping duty on the downstream industry would be significant.

C. Domestic Industry and Standing

Views of the Domestic Industry

14. The Application has been jointly filed by M/s. Chemplast Sanmar Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. There are two other producers, namely Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and SRF Ltd. SRF Ltd has supported the petition. It has been submitted that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules and the petitioners constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Views of the other interested parties

15. Submissions made by interested parties on domestic industry and standing are as follows:

 a. SRF Ltd has apparently supported the petition but it has not made available any data as a participant. In view of its non-participation as well as not filing of any submission whatsoever, it should be treated as non-cooperative and not be considered as a 'supporter' of application.

 b. GACL has not shown any interest whatsoever in the present investigation. It is not possible that subject imports would be affecting only one company while not affecting other producers

Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

17. The Application has been jointly filed by M/s. Chemplast Sanmar Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. There are two other producers, namely Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and SRF Ltd. SRF Ltd has supported the petition. The Authority notes that the petitioners account for more than 50% of the total Indian production. Further, production of the petitioners including supporter constitutes 83% of Indian productions and therefore production by the petitioners constitutes a major proportion in total production of the like product produced in India. It is further noted that none of petitioners has imported the product under consideration, nor they are related to an importer or exporter of the product under consideration. While M/s. SRF Ltd. has supported the petition, the company has not provided information relevant to injury determination. It is thus determined that the application has been made by or on behalf of the domestic industry comprising M/s. Chemplast Sanmar Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Therefore, the petitioners constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

18. With regard to the contention of interested parties that SRF Ltd should not be treated as a supporter, it is noted that rule 5(3) of the rules requires the Authority to consider whether petition has been supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application. Thus, if a domestic producer has supported the petition, the Designated Authority is required to consider the same for the purpose of Rule 5(3). However, under Rule 2(b), the Designated Authority is required to consider only those domestic producers who have provided relevant injury information. In the present case, it is noted that M/s SRF Ltd has supported the petition and the same is required to be considered for the purpose of Rule 5(3). However, for the purpose of scope of domestic industry comprising M/s. Chemplast Sanmar Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd under Rule 2(b), since SRF has not provided injury information, the Authority has considered Chemplast Sanmar and GFL as the domestic industry.

D. <u>Miscellaneous Submissions</u>

<u>Views of the Domestic Industry</u>

19. Miscellaneous submissions made by the domestic industry are as follows:

i. It is volume of imports that alone is required to be considered for the purposes of de-minimus test. Volume of exports as recorded in the exporting country's trade data is entirely irrelevant for the present purposes. The volumes of imports from Korea were 1811 MT which constituted 3.01 % of total imports

ii. Exports made from the exporting country do not have direct impact on the price of the domestic industry in the market. It is the (a) resale price of the imported product, (b) volume of material lying at the port and (c) the resale price offered by the importers which are relevant for considering injury to the domestic industry.

Therefore, it is the volume of material imported into India that is relevant for the present purposes.

iii. Imports from China are at a price higher than imports from subject countries. Volume of imports from China has steeply declined over the injury period, whereas the volume of imports from Korea RP has increased. Import price from Korea is however clearly reflective and has followed the import price from Europe and US.

iv. As regards the argument that changed circumstances should be examined from the withdrawal of duty in a previous investigation, the domestic industry has submitted that interested parties seems to have considered that anti-dumping duty is a permanent duty. It has also been stated by the domestic industry that anti dumping duty is imposed only if a product has been exported at a dumping price and the same has caused injury to the domestic industry. Import prices were in the region of USD 770-820 PMT during the period 2010-11, which declined to USD 420-470 PMT during investigation period, thus showing that there has been a dramatic change in the product price.

v. As regards the contention that traders have distorted price in the market, the domestic industry submits that whether the prices were low because of trader's participation or because of exporters exporting at a low price is irrelevant. Further, in any case, traders cannot sell the product at a price materially lower than their purchase price for a consistently longer period.

vi. As regards the contention that plant has been mainly put for Chloroform and MDC and carbon tetrachloride are jointly produced, the Domestic Industry submits that they have put up a plant for production of MDC and Chloroform. Project report of GFL for expansion of the plant establishes that the company found good market and demand for MDC and has set up a plant for production of MDC and Chloroform.

vii. As regards the contention that determination of joint cost is necessary following appropriate costing methodologies, the domestic industry submits that well established methodology for determination of cost of production in a case like present where Chloroform and MDC have been co-produced has been followed. As far as CTC is concerned, while it is co-produced, it is a by-product for cost assessment. The information provided by the petitioners in this regard is fully consistent with the records maintained by the company.

viii. Post disclosure, the domestic industry has mostly reiterated their submissions made earlier in the investigation proceedings. The following submissions have been made by the domestic industry.

a. The authority has to determine injury to "the domestic industry" and not for "the domestic producers as a whole". Non-participation of GACL and SRF cannot be presumed that they are not suffering injury.
b. The Indian market is being selectively targeted by the producers from USA and European producers to dump the subject goods; reason being, excess capacity and weak demand with foreign producers and India being a lucrative market.
c. So long as the petitioner is offering the prices comparable to the import price, the petitioner is able to sell the volumes it can produce. However, in the process, domestic industry is suffering significant financial losses.
d. DGCI&S data is Govt. of India data therefore it shall naturally have precedence over all other data, unless it is established on facts that there are errors in such data.

e. The cost allocation/apportionments have not been done on the basis of capacity. Therefore, whatever is the capacity considered, the same does not vitiate the allocation/apportionment of expenses charged to MDC.
f. The NIP determined is too low. The NIP should be based on actual cost of production and not notional costs.
g. Telangana Strikes might have reduced the demand, however, the reduced demand were still significantly higher than the capacities with the domestic industry.
h. Even if it is assumed that PTFE sales volumes suffered during the period, it could only imply reduction in Chloroform production and consequently MDC production. However, MDC and Chloroform production have increased over the period.
i. The consumption of MDC by some of the major pharma industry is hardly around 1%. Therefore, imposition of ADD is not going to majorly affect these pharma industries' cost.
j. The form of measure is required to be kept as fixed quantum expressed in US$.

View of the Importers/consumers and other interested parties

20. Submissions made on behalf of Govt. of Korea and Samasung Fine Chemicals are as follows:

i. Import volume from Korea is negligible in proportion to total imports. It composed about 2.5% of the total import volume in January – December, 2012 as per Indian customs data.

ii. Even according to petition the share is 3.01% of total imports much lower than the share of EU and US and even lower than the share of other countries not subject to investigation. Therefore according to Article 5.8 of AD Agreement, the Authority should immediately terminate the investigation.

iii. Imports from China PR is above 4% of total imports and is more than the share of Korea but it has not been considered as the subject country.

iv. There were no exports by the respondents during the period for which domestic industry considered that it was injured. Only due to the subsequent *suo moto* expansion of the POI, exports by respondents were covered.

v. The DA ought to have verified and justified the changed circumstances that warranted the re-imposition of ADD, as an effect of which the domestic price as well as import prices have risen to artificially high levels.

vi. There could have been a distortion in market dynamics and pricing during POI because of traders. Data provided by the applicants included data by traders rather than only by end users and so reliability of the data is highly questionable.

vii. Applicant has put up plant for Chloroform which is used for the main activity of producing refrigeration gases and PTFE. MDC and carbon tetrachloride are jointly produced along with Chloroform. Methodology for allocation of joint product costs has not been followed.

viii. The import of the subject goods has no positive correlation with the injury to the Applicant Domestic Producers and as a result, the cause of injury to the Applicant Domestic Producers is not the import of the subject goods but another factor.

ix. There is a significant difference while computing the landed value on the basis of the exchange rate that has been adopted, as compared to the exchange rate that is currently prevailing. The fixing of the duty rate in US Dollars has resulted in the sharp increase of the injury margin.

x. Domestic Industry controls import prices. The applicants have increased the prices from Rs. 26 to Rs 46, which has forced the exporters to increase their prices and hindering the prices of life saving drugs.

xi. Claims made by the domestic industry are wrong such as, the common raw material used for the production of three joint products are methanol and chlorine and their rates remained at same level as they were in 2009-10. Further, chlorine is available free to them as a by product from their caustic soda plant.

xii. Post disclosure, the other interested parties have mostly reiterated their submissions made earlier in the investigation proceedings. The following submissions have been made by the importers, users and exporters.

xiii. The 2003 imposition of ADD on Methylene Chloride was on relevant and concerted representation withdrawn in 2005 being unsustainable. From the facts on record it is clear there had been no justification for levy of ADD on Methylene Chloride and on the basis of it being a co-product and incorrect determination of non-injurious price. It is humbly submitted that the DA ought to have verified and justified the changed circumstances in facts and law that warranted the re-imposition of ADD on Methylene Chloride.

xiv. A thorough glance through the Disclosure statement as well as the Preliminary report shows that there is no mention about the price determination by treating all the three products as joint products. It seems that figures given by the domestic industry for Methylene Chloride have been adopted without any detailed examination of relevant costs for common products which should have been done. Determination of non injurious price in a fair manner on a rational basis of allocation as applicable to joint product costing have been given a total miss in the preliminary findings as well as the Disclosure report as there is no mention of the basis adopted. Further, unless fair and objective non-injurious price is worked out based on established procedures of costing the very objective of imposing antidumping duty would amount to enriching the domestic industrty in an unfair manner and putting unnecessary burden on the users of Methylene Chloride

xv. Joint costs as is well known are the costs of production process that yields multiple products simultaneously (three in the instant case). The split off point or point of separation is the juncture in a joint production process when two or more products become separately identifiable. Separable costs are all costs pertaining to materials and utilities and services, manufacturing overheads and so on. Costs which are incurred on each product beyond the split off point or separation point are assignable to the specific product on which they are incurred. None of the approaches as provided under costing methodologies have been followed and as such findings on non-injurious price in the preliminary findings are consequently totally unjust. domestic industry is merely trying to load their costs on the basis of what the traffic can bear which cannot be considered under any circumstances.

xvi. With the imposition of the duty vide Notification dated October 21, 2013, the domestic industry increased the price of Methylene Chloride ("the said substance") after the notification. @ Rs.46 per kg as on date as against Rs.26/- before the said notification, whereby creating monopoly in the domestic market. With the issuance of said notification, the exporters are forced to increase the price on par with domestic players whereby hindering the prices of life saving drugs and hindering the domestic consumers.

xvii. Two producers including state run Gujarat Alkali and Chemicals Limited have not claimed any injury and have not approached the Govt. As regards the Domestic Industry, Chlorine is available free to them as a byproduct from their caustic soda plant. The rate of Chlorine even otherwise is Rs. 3 to 4/Kg. There is no discussion on this in the preliminary findings as well as the disclosure report. When drums and loose Methylene Chloride are commonly marketed universally this distinction should not have been abolished by the authority at the behest of domestic industry and non injurious price of both should have been determined on a rational basis.

xviii. Data of imports collected by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) have been used but not cross verified with the data which is normally available with International Business Services Organization, Mumbai collected from various ports.

xix. Averaging of price of loose Methylene Chloride and Methylene Chloride in Drums totally wrong and unjustified.

xx. With regard to the Authority's determination in Para 21(i) to Para 21(xv) that, the volume improvement in the capacities by the domestic industry is not a factor to be taken into consideration and that the domestic industry has suffered extensively having decline in profits, return on investment and cash flows due to such import of Methylene Chloride is false. The Authority further opined that the fact that the domestic industry is engaged in production of refrigeration gases and PTFE, whose performance has declined due to which domestic industry is effected and not due to import of Methylene Chloride is not to be taken into consideration as the investigation is only concerned with the import of Methylene Chloride and the injury caused due to the domestic industry only is a prejudiced statement by the Authority.

xxi. A thorough glance through the report shows that there is no mention about the price determination by treating all the three products as joint products. It seems that figures given by the domestic industry for Methylene Chloride have been adopted without any detailed examination.

xxii. None of the approaches as provided under costing methodologies have been followed and as such findings on NIP are unjust.

xxiii. The applicants have put up plant for Chloroform which is used for their main activity of producing refrigeration gases and PTFE. This product cannot be produced on standalone basis but along with this product, Joint products Methylene Chloride and Carbon tetrachloride are produced. Therefore, additional burden of ensuring fairness is imposed on the Authority.

xxiv. There is no evidence to demonstrate that the exporter sold Methylene Chloride to India at a price much less than the price prevailing in the exporters' domestic market, whatever difference being attributable to purchasing power parity and other elements of costing.

xxv. In this case, volume injury did not occur to the domestic manufacturers at all and evidence proves this. It is humbly submitted the DA failed to appreciate that there is no evidence on record to prove effect of the alleged dumped imports on prices in the Indian market for like articles, as demonstrated by decline in output, loss of sales, loss of

market share, reduced profits, decline in productivity, decline in capacity utilization, reduced return on investments and price effects. The DA is requested to re-evaluate the body of evidence already available and now placed before it to evaluate injury in terms of economic indicators of the Applicant such as reduction in sales, output, profits, market share, productivity, return on investment, capacity utilization, employment and capitalization. It is strongly expected that though not all, most would elements would indicate that no decline had taken place.

xxvi. Major use of Methylene Chloride is as a solvent by the API manufacturers and they would be adversely affected. API's are used in the manufacture of formulations and constitute 50% to 80% of their cost. In a situation of price control through Drugs (Prices Control) Order, 2013 both producers of API's and users of formulations would be adversely affected as producers of formulations cannot absorb such increases in the manufacturing costs of their formulations.

xxvii. It has been submitted that there is no dumping by Akzo Nobel during the first six months of calendar year 2012 when first application was made by the domestic industry. It has also been submitted by them that the applicant domestic producer did not contain any evidence with respect to determination of export price and consequently dumping, which could have been considered for initiating the present investigation. In particular, they have stated that adjustments for ocean freight and commission has been inappropriately provided by the Domestic Industry and have also been accepted by the DGAD. They have highlighted issues relating to wrong earmarking of capacity for the subject goods which has resulted in the increase in the NIP for domestic industry. They have also added that there is no volume injury to the Petitioner domestic industry and inflated Costs and Losses reported by Domestic Industry have not been examined by DGAD. They have requested the Designated Authority to examine whether there has been a significant increase in the volume of dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Examination by Authority

21. The submissions made by the interested parties have been analysed by the Authority as follows:

a. With regard to the argument on share of imports of Korea RP and China PR, it is noted that the Anti dumping Rules requires that the imports from the subject country should be more than negligible volume. It is noted that imports from Korea RP were above negligible volume (3.57%) and therefore investigation is not required to be terminated on this account. As regards China PR, it is noted that the import prices from China PR were much higher.

b. With regard to the argument that M/s Akzo did not cause injury, as it did not export from January to June 2012 which is the period for which the first application was filed, the Authority notes that the investigation period in the present case is Jan 12-Dec.12. The initial period for which the petition was filed is not material. Further, the Authority is not required to establish injury from a particular producer and exporter from a country. In fact, since conditions for cumulative assessment of injury are established in the present case, the Authority is required to assess injury to the domestic industry by considering imports from subject countries cumulatively. It has been examined whether the exporters from subject countries have dumped the subject goods in the investigation period considered and whether dumping of the product concerned has caused injury to the domestic industry.

c. With regard to the argument that the Authority should have verified and justified the changed circumstances that warranted the re-imposition of ADD, the Authority notes that changed

circumstances need not be analysed in a fresh investigation.

d. With regards the contention that imports includes imports by traders as well which could have distorted the pricing, the Authority notes that imports were being made by traders as well as consumers throughout the injury period and therefore the deterioration in performance could not have been due to traders selling in the market. In any case, it is not relevant whether the pricing was distorted because of traders selling in the market. It is also noted that all the imports of subject goods made during injury period have been considered in this investigation. The imports considered by the Authority thus includes imports made by the consumers as well. It is also noted that whether the imports were made by the traders or by consumers, the same were made at dumped prices.

e. With regards the contention that the Domestic Industry has put up plant for Chloroform which is used for the main activity of producing refrigeration gases and PTFE, the Authority notes that domestic industry has submitted project report of GFL for expansion of the plant which shows that after finding good market and demand for MDC, it has set up a plant for production of MDC and Chloroform. Further, anti dumping investigations is product specific investigation. As regards determination of costs, it is noted that the cost of production determined and adopted for the present purposes is consistent with the cost records maintained by the company and cost audit report of the domestic industry.

f. With regards to the determination concerning causal link, it is noted that the same has been duly analysed under the appropriate headings in this findings.

g. With regard to the argument of difference in landed value due to exchange rate, the Authority notes that the injury margin is required to be determined by comparing the non injurious price with the landed price of imports during the period of investigation. The landed price of import is required to be determined by considering CIF import price during the investigation period. The current exchange rate is therefore not material for the purpose.

h. With regard to the contention that the domestic industry controls import prices, the matter has been examined and it is noted that the domestic industry have reduced the prices to a level significantly below cost of production. Further, the data shows steep decline in the import prices of subject goods from subject countries and consequent decline in the selling price of the domestic industry.

i. With regard to the contention of interested parties with regard to raw materials required for production of the product and its valuation, it is noted that the Authority has relied upon verified information and has satisfied itself with regard to appropriateness of the cost claims made by the domestic industry. There is no basis for the argument that Chlorine is available free to the domestic industry. The Authority has considered valuation of purchased and captive raw materials on the basis of the consumption weighted average price reflected in the records of the company.

j. With regard to the argument that DGCI&S data has not been cross verified with IBIS data, the Authority notes that DGCI&S data is Govt. of India data and the Authority relies on the DGCI&S data unless it is established on facts that there are errors in such data. The interested party has failed to establish any error in the DGCI&S data. Moreover, examination of imports as per IBIS does not establish materially different facts with regard to import volumes and prices. It is also noted that the dumping margin in respect of responding exporter from EU is based on questionnaire response filed by the exporter.

k. As regards the argument that price of loose and drums have been averaged by clubbing the two together, the Authority notes that separate comparison of MDC imported in loose and

drum has been undertaken. Thereafter, weighted average dumping margin and injury margin for the product under consideration has been determined in consistence with the Rules.

l. With regard to issues raised by various interested parties post disclosure, on the issue of dumping, injury and causal link, the same has been examined by the Authority under the appropriate headings in this finding.

CALCULATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Normal value

22. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

23. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring below mentioned producer and exporter from EU, none of the producer/exporter from subject countries has co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses. The questionnaire response has been filed by the following companies

- M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., Netherlands
- Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Germany

Since the above mentioned companies have filed questionnaire response, dumping margin has been determined in respect of these companies on the basis of their questionnaire response.

24. In the absence of cooperation from the other producers/exporters in subject countries, the Authority has determined normal value, on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules read with Article 6.8 of the Agreement.

25. Accordingly, the Authority has determined normal value, export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject countries as follows.

Normal value and Export price in case of M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., Netherlands and M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Germany

26. It has been submitted that M/s Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. is a 100% subsidiary of Akzo Nobel Chemicals B.V., The Netherlands. Further, it is noted that M/s Akzo Nobel

Industrial Chemicals B.V. has entered into a Manufacturing & Sales Services Agreement with Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Germany. In terms of the Manufacturing & Sales Services Agreement, Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. supplies all the raw materials required for manufacturing methylene chloride to Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Germany (with the exception of natural gas and electricity). Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH manufactures methylene chloride for Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. in its plant in Germany. For the manufacturing services rendered by Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, it receives a fee from Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. It is also noted from the response that the product exported to India and sold in the home market is same in all respects. The exporter has claimed normal value based on sales made in the home market in EU.

27. It is further noted that M/s Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH is a 100% subsidiary of Akzo Nobel Chemicals Holding GmbH, Germany. Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH manufactures methylene chloride for Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. in its plant in Germany. Sales in home market as well as exports to India are performed by Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Netherlands. From the exporters response, it is noted that M/s Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Netherlands has exported the subject goods (all bulk) to India during the POI. Examination of response was carried out and a deficiency letter has been issued to the exporter asking them to comply with the deficiency. However, after examination of the response, it is considered appropriate to accept their response. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market (based on EU territory as a whole). It is also noted from the transaction wise information of domestic sales given in appendix 1 of the exporters questionnaire that the profit making sales in the domestic market are more than 80 % by the way of volume. Accordingly the total domestic sales have been taken into account for the purpose of determination of normal value. The adjustments claims by the exporter for sales in the domestic market i.e. inland freight, credit costs and commissions have been allowed as per the response. The normal value as determined is mentioned in the dumping margin table.

28. With regards to export price of subject goods from responding exporter to India, it is noted that M/s Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Netherlands has exported the subject goods to India and has given the information in the appendix 2 of the response of the exporters' questionnaire. The exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, commissions and credit costs which have been allowed. The net export price as determined for Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V, Netherlands is given in the dumping margin table.

Normal value and Export price in case of other producers and exporters from EU

29. In view of the non cooperation of other exporters in this investigations, the Export price for other exporters has been determined based on the lower export price of the cooperating exporter from EU as best facts available after allowing for adjustments as per exporters data. The normal value has been determined as same for the cooperating exporter. The export price so determined has been compared with the normal value determined for cooperating producer and exporter from EU. Accordingly, export price and dumping margin for all other exporters from EU has been worked out as mentioned in the dumping margin table. With regard to subject goods exported in packed or in drums, the cost of the drums as per the facts available have been added to determine the normal value and export price.

Normal value in case of all producers/exporters in USA.

30. It is noted that none of the exporters in USA has cooperated with the authority with questionnaire response. The petitioner had provided details of normal value in EU and USA on the basis of price of subject goods as published in ICIS-LOR. It is noted that ICIS-LOR is the

world's largest petrochemical market information provider and provides pricing data, high-value news, analysis and independent consulting, with over 30 years' experience of providing pricing information. In the absence of any response from the subject exporters (barring Akzo Nobel) in the form and manner prescribed, the Authority has determined normal value for all producers/exporters in USA in accordance with Rule 6(8) supra. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Normal value in case of all producers/exporters in Korea

31. It is noted that none of the exporters in Korea has cooperated with the authority with questionnaire response. The petitioner had provided details of normal value in EU and USA on the basis of price of subject goods as published in ICIS-LOR. However, the petitioner has not made available ICIS-LOR price for Korea RP. Even though Samsung Fine Chemicals responded to the authority, the company has not filed response to questionnaire. The Authority notes that in the absence of any response from the subject exporters in the form and manner prescribed, the Authority has constructed the normal value for all producers/exporters in Korea RP in accordance with Rule 6(8) supra i.e by taking into account international raw material price, best consumption norm and reasonable profit margin. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Export price for all producers/exporters in USA and Korea

32. It is noted that none of the exporters from USA and Korea have responded to the authority. It is also noted that the Petitioner has determined export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported by data supplying agencies. The Designated Authority has considered information received from the DGCI&S and has determined export price considering all imports of the product under consideration in India. Information on record shows that there is significant difference in the price of loose/unpacked and packed material and therefore, separate export price has been determined for the two form of the product. The Authority has considered that the imported product was packed in GI drums. With regard to comments made by the interested parties post disclosure, it is noted that price adjustments have been made on the basis of claims made by petitioner domestic industry in view of non cooperation from the exporters from USA and Korea RP. The net export price has been determined at ex-factory level.

DUMPING MARGIN

33. Considering the normal value and export price for subject goods packed as loose/bulk, and drums as determined above, the dumping margin for the subject goods as a whole has been determined as follows. It is seen that the dumping margin for the subject goods is more than de-minimus and significant.

Dumping Margin **Unit in US$/Kg**

Particular	Unit	EU		USA	Korea RP
		M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V, Netherlands.	Other Producers and Exporters	All producers and exporters	All producers and exporters
Loose/Bulk					
Normal Value	US$/kg	***	***	***	***

Net Export Price	US$/kg	***	***	***	***
Dumping Margin	US$/kg	***	***	***	***
Dumping Margin %	%	***	***	***	***
Dumping Margin %	% Range	220-230%	250-260%	300-310%	60-70%
Packed/Drum					
Normal Value	US$/kg	-	***	***	***
Net Export Price	US$/kg	-	***	***	***
Dumping Margin	US$/kg	-	***	***	***
Dumping Margin %	%		***	***	***
Dumping Margin %	% Range		170-180%	190-200%	70-80%
Product under consideration as a whole					
Normal Value	US$/kg	***	***	***	***
Net Export Price	US$/kg	***	***	***	***
Dumping Margin	US$/kg	***	***	***	***
Dumping Margin %	%	***	***	***	***
Dumping Margin %	% Range	220-230%	230-240%	300-310%	60-70%

E. Injury Determination

Views of the Domestic Industry

34. The submissions made by domestic industry with regard to injury and casual link are as follows:

i. Imports of the product under consideration have shown significant increase over the years with a significant increase in POI;

ii. Imports have increased in relation to production and consumption in India;

iii. Market share of the subject countries in demand has remained significant. Market share of the domestic industry has also increased. The same is however due to significant addition to the capacities;

iv. With reduction in the prices either by the foreign producers or by these traders, either the Indian producers must realign their prices with the changes in the import prices or traders' resale prices, or the petitioners must loose orders;

v. Domestic industry prices reflect the combined effect of the prices which have been reported in the trade journals and the prices that are being offered by the traders;

vi. Imported goods have been undercutting the prices of the domestic industry in both loose and packed form. Price undercutting in respect of the product under consideration as a whole is quite significant;

vii. The domestic industry has been forced to reduce the prices too steeply and too frequently :—

viii. The domestic industry was able to achieve good capacity utilization in the period 2010-11, but the same declined thereafter;

ix. Inventories with the domestic industry decreased slightly in 2010-11, but, have thereafter shown increase throughout the injury period;

x. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent;

xi. The decline in profitability of the domestic industry was due to reduction in the import prices without any justifiable reasons. Further, the decline in price and consequently profit was not inconsequential. It was too significant, too steep and too sudden;

xii. A leading market reporter stated that European producers conceded that the prices fell below the assessed range of the Journal, with India being one of the lower-priced destinations for methylene chloride exports.

xiii. As regards the contention that injury is on account of performance of PTFE, the domestic industry submits that even if it is assumed that PTFE sales volumes suffered during the period, it could in worse situation imply reduction in Chloroform production and consequently MDC production. However, on facts MDC and Chloroform production have increased over the period.

xiv. As regards the contention that cyclical effects of the market in terms of decline in demand of chloroform and then decline in demand of MDC has caused injury, the domestic industry submits that consumption and consequently production of Chloroform has also increased over the period. In any case, decline in demand for Chloroform would have implied lower production of Chloroform and in turn lower production of MDC, given that MDC and Chloroform are co-produced.

xv. As regards the contention that wrong capacity has been considered for subject goods and allocation of fixed costs on such capacity have led to wrong calculations, the domestic industry submits that the cost allocation/ apportionments have not been on the basis of capacity. Therefore, whatever is the capacity considered, the same in any case does not vitiate the allocation/apportionment of expenses charged to MDC. Conversion costs per unit of production have in fact, declined significantly over the period. Thus, losses suffered by the domestic industry, in any case, could not have been due to higher allocation of expense to the product.

xvi. As regards the contention that there is no volume injury, the domestic industry submits that there has been steep decline in the import price of the product. So long as the domestic industry is offering the prices comparable to the import price, the domestic industry is able to sell the volumes it can produce. However, even when domestic industry is able to produce to the full extent and sell the volumes, the low price realizations received by the domestic industry is a result of dumping of the product in the country. These prices were materially below the cost of production and caused significant decline in profits, cash profits and return on investment. The domestic industry suffered significant financial losses.

xvii. As regards the contention that GFL with efficient technology has reduced prices and has caused injury, the domestic industry submits that there was no reason for GFL to reduce prices, given that the Indian demand for the product were far higher than the

expanded capacities in the country. If GFL was responsible for the price decline, the prices would not have improved in 2013 and particularly after imposition of anti dumping duty.

xviii. As regards the contention that Telangana Strike might have been responsible for adversely impacting the production of consumers' products, the domestic industry submits that this might have been the reason for the slight decline in demand for the subject goods. However, the reduced demand were still significantly higher than the capacities with the domestic industry and therefore decline in consumption of the product could not have been a factor responsible for the injury to the domestic industry.

xix. As regard the contention that domestic industry is forcing the exporters to sell the goods at low prices, the domestic industry submits that the decline in prices to the customers is a result of dumping of the product in the country. So long as the petitioner is offering the prices comparable to the import price, the petitioner is able to sell the volumes it can produce

View of the Importers/consumers and other interested parties

35. The submissions made by the interested parties with regard to injury and casual link are as follows:

i. Authority should not accept the petitioner's argument that production, domestic sales and inventories must be considered irrelevant for the purpose of assessing injury. These factors are most relevant and should be carefully reviewed.

ii. Production, domestic sales, market share, employment, wages and productivity all increased during POI, therefore there is no case of material injury.

iii. Performance improved in all the volume parameters during the POI and accordingly there cannot be any injury to domestic industry on volume parameters.

iv. As regards, profitability careful investigation should be made of whether this alleged injury is on account of dumped imports or not. Enhancement of capacities may be the reason for the financial losses.

v. Careful analysis should be done of the MDC market as decline in profitability may be a global phenomenon.

vi. The rates of major common raw materials have remained the same in injury period and POI. Foreign exchange earnings have declined on account of PTFE market conditions. There is no bifurcation of each of the co products from chloromethane hence the injury can't be attributed to Methylene Chloride.

vii. Domestic industry is basically engaged in production of refrigeration gases and PTFE whose performance has declined. This fact has not been examined.

viii. M/s SRF Ltd is supporting the request for imposition of ADD but is however, not willing to provide the information for determining the injury parameters. SRF has a new plant and technology and therefore low cost of production, which is keeping the sales price low causing others to lower the price.

ix. M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., another Domestic Producer, a Central Government Undertaking has shown indifference to the entire investigation therefore a strong presumption is to be made that they are not suffering any injury due to imports of the subject goods.

x. It is clear from the data provided by domestic industry that imports did not increase in absolute terms, but in fact declined. Imports did not increase in relation to production or consumption in India of the subject goods.

xi. Information with regard to capacities must be rejected due to two reasons: (i) factual inaccuracies in the data submitted by domestic industry (ii) incorrect earmarking of capacities having an impact on the analysis of other injury parameters. Domestic industry has submitted different plant capacities before different authorities. Incorrect higher capacity for MDC has led to unduly high allocation of depreciation cost to MDC.

xii. Incorrect higher capacity for MDC has led to unduly high allocation of depreciation cost to MDC and lesser allocation to other products; unduly high allocation of other fixed costs to MDC and lesser allocation of other fixed costs to other products; higher the costs projected, more will be the loss that will be reflected and incorrect allocation of return on capital employed.

xiii. Price pressure felt by domestic industry is due to cyclical effects of the market and not because of the imports of the subject good.

xiv. Domestic industry has reported improved performance in all volume parameters during the POI and thus no injury on account of volume parameters.

xv. GFL kept reducing prices to utilize its expanded capacity. Further, GFL must be incurring some extra-ordinary costs as the teething problem. Because of such a decline in domestic price and increase in costs, it showed injury to domestic industry in terms of price depression and price suppression during the POI.

xvi. Fixing of the duty rate in US Dollars has resulted in sharp increase of the injury margin. Only because of depreciation of the Indian Rupee, injury margin turned out to be Rs. 22.32/kg that is more than 15% higher than actual. ADD is required to be fixed in Indian Rupee only.

xvii. In late 2011 as a result of the Telangana movement demanding the creation of a new state, entire Andhra Pradesh state was crippled, especially with regard to the generation of power. Dire shortage of power continued into the early months of 2012 as well. Any injury that the domestic industry may have suffered during this period is attributable to the acute shortage of power and not due to import of subject goods.

xviii. The domestic industry in India reduced its price to such an extent that any exporter, who wanted to export the subject goods to India had to lower its export price. Since India is strong emerging as the pharmaceutical hub, no major pharma feeder industry can afford to ignore India. Thus, in a bid to compete with domestic industry at lower prices set by it, producers in EU and USA had to lower their margins and export to India.

xix. During FY 2012-13 applicants's operating revenues declined from Rs. 2069 crores to Rs 1596 crores registering a decline of Rs 473 crores. During the same period foreign exchange earnings declined from Rs 1460 crores to Rs 797 crores registering a decline of Rs 623 crores only on account of PTFE market conditions (chloroform based) and not due to subject goods.

xx. Surplus capacity and production, which along with supply constraints faced by major pharmaceutical companies located in Andhra Pradesh due to state-wise strikes concerning Telengana issue and resultant lower demand, forced domestic industry to reduce its prices so to dispose off its excess production at throw-away prices.

xxi. As regards the contention that weak domestic demand in subject countries caused dumping into India, interested party submits that weak domestic demand would have led to cheap exports to other countries as well at a lower price and not selectively for one country, such as for India, alone.

xxii. Domestic industry during the entire POI did not align its prices according to the import prices. Whether import prices increased steeply or came down, domestic industry chose to change its prices to a maximum of +/- 3%. Thus, whenever exporters tried increasing their prices, domestic industry intentionally kept its prices low and made exporters to align their prices in subsequent months and bring their prices down.

xxiii. Despite the demand supply gap, domestic industry as well as other domestic producers have about 64% of total market share whereas subject imports hold half of total Indian domestic producer's share. How is possible that a small player is able to control the prices of a major player.

Examination by the Authority

36. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed injury to the domestic industry considering the facts available on record and applicable law as follows. The submissions made by the interested parties have been considered to the extent found relevant and have been examined as follows and in the relevant sections of these findings:

i. With regards the contention that volume parameters must be carefully reviewed and that these parameters shows improvement and therefore there is no case of material injury, the Authority notes that even though the performance of the domestic industry has improved in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, the performance deteriorated in respect of profit, cash flow, return on investment, and inventories. The decline in profits, return on investment and cash flows is quite significant and material.

ii. With regards the contention that enhancement of capacities may be the reason for the financial losses, the Authority notes that the low priced imports have caused injury to the domestic industry. The domestic industry could sell its product only when the same was done at the price comparable to that of import price.

iii. With regard to the argument that the domestic industry is basically engaged in production of refrigeration gases and PTFE whose performance has declined, the Authority notes that the subject investigation concerns the imports of Methylene Chloride and the injury caused to the domestically produced Methylene Chloride in view of dumped imports of the same from subject countries. Other products are outside the purview of this investigation. Therefore performance of the domestic industry in respect of PTFE is immaterial.

iv. With regard to the contention that M/s SRF Ltd has not submitted data and GACL has shown indifference to the investigation which shows that they are not suffering injury, the Authority notes that (a) the petitioners constitute domestic industry within the meaning of the Rules and (b) the Authority is required to determine injury to the domestic industry. In any case, interested parties have not submitted any evidence to establish that SRF or GACL has not suffered injury. It is further noted that AD Rules require the Authority to determine injury to the domestic industry. Rule 2(b) provides that in a situation where all the producers have not provided injury information, the Designated Authority shall consider whether production of the domestic producers providing injury information constitutes a major proportion in the Indian production. The production of the petitioner companies is a major proportion in the instant case and therefore petitioner companies constitute domestic industry within the

meaning of the Rules.

v. With regard to the contention that domestic industry has earmarked the capacity incorrectly and has submitted different plant capacities before different authorities, the Authority notes that injury analysis by the Authority contains information on Chloromethane capacity, production and capacity utilization in view of the fact that the three products are co-produced. Further, elements of costs are not based on capacities. The same are based on parameters linked to production of the product under consideration. Production of the domestic industry has been verified from records. Therefore, possible difference in capacities has not impacted the finding of injury to the Domestic Industry.

vi. As regards the argument that none of the approaches as provided under costing methodologies have been followed, the Authority notes that well established methodology for determination of cost of production has been adopted which is the same as mentioned by the interested party itself, i.e., production value ratio.

vii. With regards the contention that the price pressure has been felt by the domestic industry due to cyclical effect of the market, the Authority notes that the facts of the case have not established the product under consideration has cyclical nature. Nor have the interested parties established that the performance of the domestic industry has deteriorated due to cyclical effects of the market. On the contrary, the data shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated in the present POI with the significant decline in the import prices as a result of dumping.

viii. With regards the contention that GFL has reduced prices and the same has caused injury, the Authority notes that the import prices declined significantly and the same led to decline in prices by the domestic industry. The authority also notes that the demand for the product is higher than the capacities with the Indian producers and under such situation, there was no necessity for any of the constituent of the domestic industry to resort to such aggressive price reduction. The domestic industry was forced to reduce the prices only because of the prices reduced by the foreign producers.

ix. With regards the currency of the anti dumping duty, the Authority notes that the decision to recommend interim anti dumping duty in US$ was consistent with the practice of the Authority in this regard.

x. With regard to the argument that Telangana Strikes affected the generation of coal which affected the power plants in the state, it is noted that the said factor might have been responsible for adversely impacting the production of consumers' products and this might have been a reason for some decline in demand for the subject goods. However, the said factor could not have significantly impacted production of the subject goods by the domestic industry. Further, the demand for the subject goods in investigation period was significantly higher than the capacities and production by the domestic industry and therefore changes in consumption of the product could not have been a factor responsible for the injury to the domestic industry.

xi. As regards the contention that domestic industry reduced its price which forced the exporters to exports at low prices it is noted that that monthly movement of import price and selling price of the domestic industry shows that import prices started declining which forced the domestic industry to lower their prices. The domestic industry was forced to reduce the prices only because of the prices reduced by the foreign producers.

xii. With regard to the argument concerning reasons for decline in operating revenues in 2012-13, it is noted that the revenue and profits relating to product under consideration alone have

been considered. The decline or increase in revenues of other products or changes due to foreign exchange gains or losses in other products are not material in this investigation.

xiii. With regard to the argument that lower demand of the product because of Telangana issue in Andhra Pradesh forced the domestic industry to reduce its prices to dispose off its excess production at throughway prices, it is noted that the reduced demand for the product under consideration was significantly higher than the production and capacity of the Indian industry. Further, imports of the product increased significantly despite such lower demand. Thus, it is the dumping of the product under consideration in the country which has forced the domestic industry to reduce its prices.

xiv. With regard to the argument that the domestic industry did not change its prices in proportion to increase or reduction in import prices whenever import prices increased steeply or declined steeply, the Authority notes that what is relevant under the rules is whether the imports have forced the domestic industry to reduce the prices or whether imports have resulted in suppression/depression of prices in the market.

xv. With regard to the argument that weak domestic demand in subject countries would have led to exports from subject countries to third countries as well at lower price, the Authority considers that the domestic price of the product under consideration in subject countries and export price of the same to India during POI alone are relevant for the purpose of determination of dumping margin.

xvi. With regard to the argument that Indian producers command 64% share in market and imports command a share of 36% and therefore imports cannot control the prices of domestic industry, the Authority observes that the product is freely importable into the country. The prices at which goods have been imported into the country have direct impact on the prices that the domestic industry can fetch in the market. Given significant volume of imports into the market, the imports impact the prices at which domestic industry can sell the product. Further, the data verified by the Authority clearly shows a significant decline in the import prices and consequent decline in prices of the domestic industry during the period of investigation which indicates that the domestic industry has been forced to reduce the prices because of dumping of the product in the country.

37. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

38. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the

dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

39. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry. Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

> *"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories,employment wages growth, ability to raise capital investments."*

40. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Cumulative Assessment

41. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;

b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

In the present case,

a) the margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed above;

b) the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;

c) cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that there is no submission made by any interested party disputing cumulative assessment in the present case.

42. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of imports.

Demand and market share

43. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Sales of Domestic Industry and Supporter	MT	51,345	58,050	75,200	89,305
Sales of Other Producers	MT	19,024	19,134	19,712	19,037
Subject countries-Imports	MT	42,033	55,847	60,975	51,952
Other Countries-Imports	MT	13,787	10,111	23,469	5,866
Total demand/consumption	MT	126,189	143,142	179,356	166,160

44. It is noted that the demand has shown a positive trend throughout the injury period till 2011-12, but the same has declined during the POI. Overall, demand of the subject goods has increased during the injury period.

F. Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

45. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject good from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Subject Countries	MT	42,033	55,847	60,975	51,952
EU	MT	31,878	32,762	42,418	38,002
USA	MT	9,359	22,499	14,283	11,886
Korea RP	MT	796	586	4,274	2,064
Other Countries	MT	13,787	10,111	23,469	5,866
Total Imports Volume	MT	55,820	65,958	84,444	57,818
Market share in Imports					
Subject Countries	%	75.30	84.67	72.21	89.85
Other Countries	%	24.70	15.33	27.79	10.15
Market share in demand					
Subject Countries	%	33.31	39.01	34.00	31.27
Other Countries	%	10.93	7.06	13.09	3.53
Domestic industry & Supporter	%	40.69	40.55	41.93	53.75

Other Indian producers	%	15.08	13.37	10.99	11.46
Indian industry as a whole	%	55.76	53.92	52.92	65.20
Total Imports in relation to production of domestic industry	%	76.21	77.08	67.80	41.69

46. It is noted from the above table that imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms from the base year till 2011-12, but the same has declined during the POI. Overall, the volume of the imports of subject goods have marginally increased during the POI as compared to the base year. Further, the share of the subject countries in total imports into India has increased whereas the share of other countries has declined. It is noted that one of the domestic producer (who is part of the present domestic industry) enhanced capacities significantly, which has led to significant increase in availability of domestic product. This could have resulted in some decline in the imports of the subject goods in the POI as compared to previous years. Further, the imports from subject countries as well as total imports of subject goods have declined in relation to consumption in India, which may be the reflective of additions of capacities by the domestic industry.

G. Price effect of imports

47. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Evolution of prices over the period

48. In the injury period, average CIF prices of the imports originated in subject countries have been as under:

Subject Country	Import price	Landed Price
	Rs./kg	Rs./kg
2009-10	23.04	25.05
2010-11	36.15	39.31
2011-12	36.30	39.46
Jan'12-Dec'12 (POI)	25.16	27.35

49. It is seen from the above table that the CIF import price of subject goods declined from Rs. 36.30 Per/Kg. in 2011-12 to Rs. 25.16 in POI though the injury period, there was a marginal increase in the import price from the base year to POI.

Price undercutting

50. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
EU					
Landed price of imports	Rs./Kg	26.46	39.80	38.39	27.98
Net Sales Realisation	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	% Range	10-20	5-15	0-10	0-10
USA					
Landed price of imports	Rs./Kg	19.35	38.55	41.64	24.70
Net Sales Realisation	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	% Range	35-45	10-20	Negative	10-20
Korea RP					
Landed price of imports	Rs./Kg	35.56	41.18	42.82	31.06
Net Sales Realisation	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	% Range	Negative	5-15	Negative	Negative
Subject Countries as a whole					
Landed price of imports	Rs./Kg	25.05	39.31	39.46	27.35
Net Sales Realisation	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	% Range	15-25	10-20	0-10	5-15

51. The Authority notes that the landed prices of the subject goods were below the selling price of the domestic industry showing significant price undercutting being caused by the dumped imports from subject countries except Korea RP.

Price-underselling

52. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries, as follows:

Country/exporter	Unit	EU	USA	Korea RP
Non Injurious Price	Rs./kg	***	***	***
Landed Price	Rs./kg	***	***	***
Price underselling	Rs./kg	***	***	***
Price underselling %	%	***	***	***
Price underselling %	% Range	45-55	65-75	30-40

53. It is noted from the above table that the domestic industry has suffered significant price underselling during the investigation period on account of imports of the subject goods from the subject countries.

Price suppression and depression

54. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. Authority has considered the average price of loose and packed material for the purpose of this analysis. Table below shows the factual position:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs./Kg	25.05	39.31	39.46	27.35
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*99*	*111*	*116*
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*139*	*125*	*90*

55. The selling prices of the subject good in the domestic market have declined during the injury period. Thus, the domestic industry has suffered a price depression.

56. It is also noted from the table above that the cost of sales has increased the injury period except that it marginally declined in 2010-11. The selling price increased till 2010-11 but started declining thereafter and has declined significantly in the POI. It is also noted that the landed price shows a sharp decline in the POI as compared to the previous year but the same has marginally increased as compared to the base year.

57. Overall, it is noted that cost of sales have increased significantly during the injury period, however, the selling price of the domestic like product declined during the same period.

Though there is a marginal increase in landed value of the subject goods from subject countries, it is noted that the dumped imports of subject goods from subject countries have suppressed the domestic industry prices.

H. Economic parameters of the domestic industry

58. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

59. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

Production, capacity and capacity utilization of the Domestic Industry

60. The production, domestic sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry has been stated as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Plant Capacity	MT	75,750	75,750	117,000	117,000
Plant Production	MT	73,245	85,566	124,548	138,689
Plant Capacity Utilization	%	96.69%	112.96%	106.45%	118.54%
Production-PUC	MT	35,324	42,422	62,788	73,966
Sales volume					
Domestic	MT	35,191	42,361	60,286	71,338
Exports	MT	189	60	2094	2638
Total Sales	MT	35,380	42,421	62,380	73,976

61. The Authority notes that the product under consideration is jointly produced with Chloroform and Carbon Tetrachloride comes out as a byproduct. Since the production facilities are common and the products are coproduced, capacity utilization has been examined by considering combined production of Methylene chloride and chloroform.

62. It is noted that one of the petitioner companies has enhanced capacity within the present injury period. The domestic industry has submitted that the capacity enhancement in the product was made in view of the demand-supply gap in the Country and the investment involved significant capital expenditure by the company. Since the domestic industry enhanced capacities, the domestic industry submitted that the increase in production and domestic sales volumes was an inevitable and a result of such capacity enhancement.

63. It is noted from the above table that the domestic sales, production and capacity utilization of

the domestic industry has increased during POI as compared to the base year as well as the previous year. The domestic industry has contended that a natural outcome of increase in capacities should have been higher profits to the company.

ii. Market share

64. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been examined as below:

Market Share in Demand	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Sales of Domestic Industry & Supporter	%	40.69	40.55	41.93	53.75
Sales of Other Producers	%	15.08	13.37	10.99	11.46
Subject Countries – Imports	%	33.31	39.01	34.00	31.27
Other Countries - Imports	%	10.93	7.06	13.09	3.53
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

65. It is noted that market share of the domestic industry has increased over the injury period.

iii. Profits, return on investment and cash flow

66. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of sales	Rs. /Kg.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*99*	*111*	*116*
Selling price	Rs. /Kg.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*139*	*125*	*90*
Profit/Loss	Rs. /Kg.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*1,103*	*463*	*(525)*
Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*1,328*	*792*	*(1,065)*
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*482*	*310*	*(248)*
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*691*	*461*	*(413)*
ROI	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*410*	*228*	*(142)*

67. It is noted from the above table that the costs of sales have increased over the injury period, where as the selling price increased in 2010-11 and declined consistently thereafter with steep decline in the POI. Resultantly, the profits of the domestic industry increased up to 2010-2011 and started declining thereafter. Profitability declined to such an extent that the domestic industry suffered significant financial losses in the POI.

68. As a result of decline in profits, the return on investment and cash profits declined significantly during POI as compared to the base year as well as previous year. The profitability of domestic industry has declined significantly during the POI and it has suffered cash losses and negative return on investment in the POI.

iv. Inventories

69. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Opening stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Stock	MT	174	137	331	411
Trend	*Indexed*	*100*	*79*	*191*	*236*

70. It is noted from the above table that the average stock during POI has increased as compared to the base year as well as the previous year.

v. Employment and wages

71. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Number of employees	No.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*127*	*134*
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*96*	*126*	*149*

72. Since the domestic industry does not have dedicated employment for the product under consideration, situation of the domestic industry with regard to employment and wages paid by the domestic industry was examined by considering information for the company for all operations. It is seen that both employment and wages shows increase over the period.

vi. Productivity

73. Data relating to productivity shows as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity per day	No.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*120*	*177*	*209*
Productivity per Employee	No.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*114*	*140*	*156*

74. It is noted that productivity in terms of production per employee as well as production per day has increased in the POI over the injury period.

vii. Magnitude of Dumping

75. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries are above de minimis and significant.

Ability to raise capital investment

76. It is also noted that the petitioner companies are multi product companies and one of petitioner companies has enhanced capacities during the injury period. The domestic industry has invested significant amount during the current injury period. It is thus noted that dumping of the product under consideration has not adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.

viii. Factors affecting domestic prices

77. Consideration the import prices from subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market show that the landed value of imported material from subject countries are significantly below the selling price and non injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. The domestic industry contended that benchmark for the domestic prices are the import prices from subject countries. The domestic industry also contended that despite the present capacity enhancement, there is still significant demand-supply gap in the Country and therefore imports are inevitable.. The domestic industry however contended that in a situation where the imports are inevitable, there is no reason for the foreign producers to depress the prices for the product in the Indian market, that too discriminately for the Indian market. The domestic industry further contended that there are large scale traders aggressively operating in the market and these traders are aggressively offering the imported product to the consumers and therefore, with reduction in the prices either by the foreign producers or by these traders, either the Indian producers must realign their prices with the changes in the import prices or traders' resale prices, or the petitioners must loose orders. The domestic industry further contended that it decides its prices based on prices being reported in the trade journals for exports to India, inventory of the material at Kandla port. Thus, the domestic industry prices reflect the combined effect of the prices which have been reported in the trade journals and the prices that are being offered by the traders. The matter has been examined and it is noted that there are no significant imports of the product under consideration from other

countries and there is no viable substitute to this product. It is also noted that demand for the product was showing increase and could not have been a factor responsible for price depression faced by the domestic industry. It is thus evident that the only factors responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product from subject countries and the cost of production of the domestic industry. As the information shows, whereas the cost of production increased, the import prices much lower than the costs of the domestic industry depressed the prices of the subject goods produced by the domestic industry. Thus, the landed price of the subject goods from subject countries are major factors affecting the domestic industry prices.

ix. Growth

78. There was positive growth of the domestic industry in terms of sales and production. However, growth of the domestic industry in respect of profits, cash profit, and return on investment was significantly negative in the POI despite significant increase in demand. The domestic industry contended that with increase in capacity, the domestic industry had expected robust growth in profits, cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same due to the presence of the dumped imports.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	20.09	48.01	17.80
Domestic Sales Volume	%	-	20.37	42.32	18.33
Cost of Sales	%	-	(***)	***	***
Selling Price	%	-	***	(***)	(***)
Profit/ Loss per unit	%	-	***	(***)	(***)
Return on Capital Employed	%	-	***	(***)	(***)

J. Other Known Factors & Causal Link

79. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

(a) Volume and prices of imports from third countries

80. It is noted that imports of product under consideration from other countries are at higher price or are negligible in terms of volume. As regards imports from China PR as shown in the table, it is noted that the import price from China was much higher than import price from subject countries. Further, the volume of imports from China PR has shown declining trend, whereas volume of imports from each of the subject countries has shown rising trend.

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Opening Stock	MT	55,820	65,958	84,444	57,818

Subject Countries	MT	42,033	55,847	60,975	51,952
China	MT	10,561	5,384	16,084	2,631
Other Countries	MT	3,226	4,727	7,386	3,235
Share in Import Volume	%	100	100	100	100
Subject Countries	%	75.30	84.67	72.21	89.85
China	%	18.92	8.16	19.05	4.55
Other Countries	%	5.78	7.17	8.75	5.59
Import Price	Rs/Kg	24.25	36.67	37.90	25.65
Subject Countries	Rs/Kg	23.04	36.15	36.30	25.16
China	Rs/Kg	28.07	39.10	43.92	36.71
Other Countries	Rs/Kg	27.47	39.94	38.07	24.59

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

81. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Possible decline in demand is not as a possible reason of injury to the Domestic Industry.

(c) Developments in technology:

82. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

83. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

(e) Export performance of the domestic industry :

84. The exports of the domestic industry constitute an insignificant share in their total sales. However, it is added that the injury information examined by the Authority is for domestic operations and therefore possible decline in exports volume have not caused injury to the Domestic Industry.

(f) Productivity of the Domestic Industry :

85. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has increased over the period.

86. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

a. The imports of subject goods from subject countries were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce its prices significantly. The price depression and price suppression suffered by the domestic industry is primarily

because of dumping of the product in the Country.

b. The domestic industry was forced to reduce its prices even below cost of production causing financial losses. The price depression caused by the imports thus resulted in significant deterioration in profits of the domestic industry to such an extent that the domestic industry suffered significant financial losses.

c. Performance of the domestic industry with regard to profits, cash flow and return on investments deteriorated as a result of price depression. Thus, dumping of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow and return on investments.

87. It is therefore, concluded that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports.

K. Magnitude of Injury Margin

Injury Margin

88. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry determined has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin determined are as under:-

Injury Margin **Unit in US$ per Kg**

Country/exporter	Unit	EU		USA	Korea RP
		M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., Netherlands	Other Producers and Exporters	All producers and exporters	All producers and exporters
Loose					
Non Injurious Price	US$/kg	***	***	***	***
Landed Price	US$/kg	***	***	***	***
Injury Margin	US$/kg	***	***	***	***
Injury Margin %	%	***	***	***	***
Injury margin %	% Range	60-70%	85-95%	65-75%	30-40%
Packed					
Non Injurious Price	US$/kg		***	***	***
Landed Price	US$/kg		***	***	***
Injury Margin	US$/kg		***	***	***
Injury Margin %	%		***	***	***

Injury margin %	% Range		70-80%	30-40%	40-50%
Product under consideration as a whole					
Non Injurious Price	US$/kg	***	***	***	***
Landed Price	US$/kg	***	***	***	***
Injury Margin	US$/kg	***	***	***	***
Injury Margin %	%	***	***	***	***
Injury margin %	% Range	60-70%	80-90%	70-80%	30-40%

L. Indian industry's interest & other issues:

89. With regard to the contention of the interested parties that imposition of anti dumping duty will have serious implications on the availability and affordability of essential drugs, and contention of domestic industry that the product under consideration does not form a major element of cost in production of any of the downstream products and therefore it cannot be said that imposition of anti dumping duty shall have significant adverse impact on the cost and price of the product in the Country, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. With regard to earlier imposition of anti dumping duty, it is noted that anti dumping duties were earlier imposed twice on the product and the same remained in force. It is noted that imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

M. Recommendation

90. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

b. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal values.

c. The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries.

d. The material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

91. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all known interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping causing injury. Domestic industry has requested for imposition of anti dumping duty

to address injury being suffered. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed value of imports of product under consideration has been compared with the non-injurious price of the domestic like product produced by domestic industry determined for the period of investigation.

92. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column-8 of the Table below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SN	Heading / Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
1	290312	Dichloro-methane (Methylene Chloride)	European Union	European Union	M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Netherlands.	M/s. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V, Netherlands.	0.32	Per Kg	US$
2	- do -	- do -	European Union	European Union	Any other than combination at Sl. No. 1		0.36	Per Kg	US$
3	- do -	- do -	Any other than subject countries	European Union	Any	Any	0.36	Per Kg	US$
4	- do -	- do -	European Union	Any other than subject countries	Any	Any	0.36	Per Kg	US$
5	- do -	- do -	United States of America	United States of America	Any	Any	0.33	Per Kg	US$
6	- do -	- do -	Any other than subject countries	United States of America	Any	Any	0.33	Per Kg	US$
7	- do -	- do -	United States of America	Any other than subject countries	Any	Any	0.33	Per Kg	US$
8	- do -	- do -	Korea RP	Korea RP	Any	Any	0.21	Per Kg	US$
9	- do -	- do -	Any other than subject countries	Korea RP	Any	Any	0.21	Per Kg	US$
10	- do -	- do -	Korea RP	Any other than subject countries	Any	Any	0.21	Per Kg	US$

93. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 6th September, 2013.

94. An appeal against the findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.